

## અધ્યાય - 8

---

# પદસૃજન સંબંધી

---

पत्र संख्या-15/वि०स०से०-02-07/08 सा०प्र०-3698

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार चौधरी,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव, बिहार, पटना

सभी सचिव, बिहार, पटना

सभी विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना

सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार

पटना-15, दिनांक 21. 09. 2010

विषय- बिहार सचिवालय सेवा के विभिन्न ग्रेड के पदों के पुनर्गठन/पुनर्निर्धारण के फलस्वरूप अग्रेतर कार्रवाई करने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के राज्यादेश सं०-3369, दिनांक 25.08.10 द्वारा बिहार सचिवालय सेवा के विभिन्न ग्रेड के पदों को पुनर्गठित करते हुए 248 (दो सौ अड़तालिस) पदों को तदर्थ रूप से उत्क्रमित करने की स्वीकृति दी गयी है। इस राज्यादेश के साथ अनुसूची 'क' के रूप में विभागवार पदों की सूची एवं संख्या संलग्न है। संलग्न अनुसूची 'क' में अंकित स्वीकृत पद के स्थान पर 'पूर्व स्वीकृत पद' एवं प्रस्तावित पद के स्थान पर 'पुनरीक्षित स्वीकृत पद' पढ़ा जाय।

राज्यादेश सं०-3369, दिनांक 25.08.10 द्वारा पदों के पुनरीक्षण के फलस्वरूप बिहार सचिवालय सेवा के विभिन्न पदसोपानों के पद स्वीकृति संबंधी सभी विभागीय आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

बिहार सचिवालय सेवा के विभिन्न ग्रेड के विभागवार पुनरीक्षित स्वीकृत पदों की संशोधित विवरणी अनुसूची 'क' संलग्न करते हुए अनुरोध है कि पुनरीक्षित स्वीकृत पदों के अनुसार अपने विभाग के अन्तर्गत प्रशाखाओं का गठन एवं उत्क्रमित पदों पर प्रोन्नति के फलस्वरूप पदस्थापित किये जाने वाले पदाधिकारियों की संरचना ससमय निर्धारित कर लेने की कृपा की जाय, ताकि भविष्य में इन पदों पर प्रोन्नति के फलस्वरूप पदाधिकारियों के पदस्थापन के उपरांत कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं हो।

विश्वासभाजन,

अजय कुमार चौधरी

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-15/वि०स०से०-02-07/08 सा०प्र०-3698

पटना-15, दिनांक 21.09.2010

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना को राज्यादेश सं०-3369, दिनांक 25.08.10 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

अजय कुमार चौधरी

सरकार के संयुक्त सचिव।

प्रतिलिपि- सभी कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, पटना एवं अन्य संबंधित कोषागार पदाधिकारी (प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय से संबंधित कोषागार सहित) बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अजय कुमार चौधरी  
सरकार के संयुक्त सचिव।

**अनुसूची- 'क'**

**बिहार सचिवालय सेवा के विभिन्न पद सोपानों के पदबल का पुनर्निर्धारण से संबंधित विवरणी।**

| क्र. | विभाग/कार्यालय का नाम                                       | पूर्व स्वीकृत पद |          |      |      | पुनरीक्षित स्वीकृत पद |          |      |      | निदेशक<br>(संयुक्त सचिव स्तर) |
|------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------|------|------|-----------------------|----------|------|------|-------------------------------|
|      |                                                             | सहायक            | प्र०पदा० | अ०स० | उ०स० | सहायक                 | प्र०पदा० | अ०स० | उ०स० |                               |
| 1    | 2                                                           | 3                | 4        | 5    | 6    | 7                     | 8        | 9    | 10   | 11                            |
| 1.   | मंत्रिमण्डल सचिवालय<br>विभाग (क) समन्वय                     | 15               | 06       | 01   | 01   | 15                    | 07       | 02   | 01   | -                             |
|      | (ख) सामान्य                                                 | 07               |          | -    | -    | 07                    | -        | -    | -    | -                             |
|      | (ग) राजभाषा                                                 | 03               | 01       | -    | -    | 03                    | 01       | -    | -    | -                             |
|      | (घ) सिविल विमानन                                            | 05               |          | -    | -    | 05                    |          |      |      |                               |
|      | (ङ) बिहार राज्य<br>नागरिक परिषद                             | 01               | 01       | 01   | -    | 01                    | 01       | 01   | -    | -                             |
|      | (च) जन शिकायत<br>कोषांग                                     | 02               | 01       | -    | -    | 02                    | 01       | -    | -    | -                             |
| 2.   | संसदीय कार्य विभाग                                          | 11               | 02       | -    | -    | 11                    | 02       | -    | -    | -                             |
| 3.   | निगरानी विभाग                                               | 34               | 05       | 01   | -    | 32                    | 07       | 01   | -    | -                             |
| 4.   | निर्वाचन विभाग                                              | 12               | 01       | -    | -    | 12                    | 02       | -    | -    | -                             |
|      | सहायक मुख्य निर्वाचन<br>पदाधिकारी-सह-सहायक<br>सचिव          | -                | -        | 01   | -    | -                     | -        | 01   | -    | -                             |
| 5.   | गृह विभाग                                                   | 84               | 15       | 04   | 01   | 82                    | 20       | 05   | 01   | -                             |
|      | (क) गृह (विशेष) राज्य<br>मानवाधिकार आयोग                    | 01               | 01       |      |      | 01                    | 01       |      |      |                               |
|      | (ख) गृह (कारा)                                              | 30               | 05       | -    | -    | 30                    | 06       | -    | -    | -                             |
|      | (ग) गृह (आरक्षी)                                            | 44               | 07       | 01   | -    | 42                    | 09       | 02   | 01   | -                             |
|      | (घ) महानिदेशक सह-<br>म०नि०कार्यालय गृह<br>रक्षा वाहिनी सहित | 153<br>06        | 29       | -    | -    | 148<br>06             | 35       | -    | -    | -                             |
| 6.   | आपदा प्रबंधन विभाग                                          | 12               | 04       | -    | -    | 12                    | 04       | 01   | -    | -                             |
|      | नागरिक सुरक्षा निदेशालय                                     |                  | 01       | -    | -    |                       | 01       | -    | -    | -                             |
|      | आपदा प्रबंधन प्राधिकार                                      | 02               | 01       | 01   | -    | 02                    | 01       | 01   | -    | -                             |
| 7.   | सामान्य प्रशासन विभाग                                       | 80               | 15       | 03   | 02   | 78                    | 22       | 05   | 02   | -                             |
|      | विभागीय जाँच आयुक्त                                         | 02               | 01       |      |      | 02                    | 01       | -    | -    | -                             |
|      | सहायक सचिव, कार्मिक<br>एवं प्र०सु० विभाग                    | -                | -        | 01   | -    | -                     | -        | 01   | -    | -                             |
|      | सूचना कोषांग                                                | -                | 01       | 01   | -    | -                     | 01       | 01   | -    | -                             |

|     |                                                      |     |    |    |    |     |    |    |    |    |
|-----|------------------------------------------------------|-----|----|----|----|-----|----|----|----|----|
| 8.  | (क) वित्त विभाग                                      | 241 | 52 | 15 | 05 | 246 | 62 | 18 | 05 | 01 |
|     | (ख) वित्त अंकेक्षण                                   | 16  | —  | —  | —  | —   | —  | —  | —  | —  |
|     | (ग) वित्त राष्ट्रीय बचत                              | 06  | —  | —  | —  | —   | —  | —  | —  | —  |
| 9.  | परिवहन विभाग                                         | 23  | 05 | 01 | —  | 22  | 07 | 02 | —  | —  |
| 10. | (क) वाणिज्य कर विभाग                                 | 57  | 11 | 01 | —  | 55  | 14 | 02 | 01 | —  |
|     | (ख) वाणिज्य कर<br>न्यायाधिकरण                        | 02  | —  | —  | —  | 02  | —  | —  | —  | —  |
| 11. | निबंधन, उत्पाद एवं मद्य<br>निषेध<br>(क) निबंधन       | 23  | 05 | 01 | —  | 20  | 07 | 02 | 01 | —  |
|     | (ख) उत्पाद एवं मद्य निषेध                            | 28  | 05 | —  | —  | 24  | 08 | 01 | —  | —  |
| 12. | (क) योजना एवं विकास<br>विभाग                         | 26  | 05 | 03 | —  | 22  | 06 | 02 | —  | —  |
|     | (ख) बिहार राज्य योजना<br>परषद                        | 04  | 02 | —  | —  | 04  | 02 | —  | —  | —  |
|     | (ग) सांख्यिकी एवं<br>मूल्यांकन निदेशालय              | 14  | 02 | —  | —  | 14  | 02 | —  | —  | —  |
|     | (घ) योजना पदाधिकारी                                  | —   | —  | 01 | —  | —   | —  | 01 | —  | —  |
| 13. | ग्रामीण विकास विभाग                                  | 50  | 08 | 03 | 01 | 44  | 13 | 04 | 01 | —  |
|     | विशेष प्रक्षेत्र                                     | —   | 02 | —  | —  | —   | 02 | —  | —  | —  |
| 14. | पंचायती राज विभाग                                    | 26  | 05 | —  | —  | 24  | 08 | 01 | —  | —  |
| 15. | ग्रामीण कार्य विभाग                                  | 89  | 13 | 03 | 01 | 84  | 20 | 04 | 01 | —  |
| 16. | नगर विकास एवं<br>आवास विभाग                          | 39  | 07 | 02 | —  | 36  | 11 | 03 | —  | —  |
|     | विशेष पदाधिकारी                                      | —   | —  | 01 | —  | —   | —  | 01 | —  | —  |
| 17. | अनुसूचित जाति एवं<br>अनुसूचित जनजाति<br>कल्याण विभाग | 43  | 11 | 01 | 01 | 39  | 14 | 03 | 01 | —  |
|     | योजना पदाधिकारी                                      | —   | —  | 01 | —  | —   | —  | 01 | —  | —  |
| 18. | पिछड़ा एवं अति पिछड़ा<br>वर्ग कल्याण विभाग           | 16  | 04 | 01 | 01 | 16  | 05 | 02 | 01 | —  |
| 19. | (क) समाज कल्याण विभाग                                | 17  | —  | —  | —  | 14  | 05 | 01 | —  | —  |
|     | (ख) सामाजिक सुरक्षा                                  | 08  | —  | —  | —  | 06  | 02 | —  | —  | —  |
|     | (ग) निःशक्त जन आयुक्त<br>का कार्यालय                 | 02  | 01 | —  | —  | 02  | 01 | —  | —  | —  |
| 20. | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग                              | 13  | 04 | 01 | —  | 13  | 04 | 01 | —  | —  |
| 21. | स्वास्थ्य विभाग                                      | 115 | 18 | 02 | 01 | 108 | 27 | 07 | 02 | 01 |
|     | आय-व्ययक पदाधिकारी                                   | —   | —  | 01 | —  | —   | —  | 01 | —  | —  |
| 22. | मानव संसाधन विकास<br>विभाग                           | 95  | 18 | 04 | 03 | 88  | 25 | 06 | 02 | 01 |
|     | आय-व्ययक पदाधिकारी                                   | —   | —  | 01 | —  | —   | —  | 01 | —  | —  |
| 23. | विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग                         | 14  | 02 | 01 | —  | 14  | 03 | 01 | —  | —  |

|     |                                   |     |    |    |    |     |    |    |    |    |
|-----|-----------------------------------|-----|----|----|----|-----|----|----|----|----|
| 24. | सूचना प्रावैधिकी विभाग            | 07  | 07 | —  | —  | 07  | 07 | —  | —  | —  |
| 25. | उद्योग विभाग                      | 66  | 25 | 01 | 01 | 60  | 25 | 05 | 01 | —  |
| 26. | गन्ना उद्योग विभाग                | 13  | 03 | 01 | —  | 13  | 03 | 01 | —  | —  |
| 27. | खान एवं भूतत्व विभाग              | 12  | 02 | 01 | —  | 12  | 03 | 01 | —  | —  |
| 28. | पर्यावरण एवं वन विभाग             | 12  | 03 | 01 | —  | 12  | 03 | 01 | —  | —  |
| 29. | (क) कृषि विभाग                    | 58  | 09 | 04 | 01 | 55  | 15 | 04 | 01 | —  |
|     | (ख) भूमि संरक्षण निदेशालय         | 10  | 02 | —  | —  | 10  | 02 | —  | —  | —  |
| 30. | सहकारिता विभाग                    | 36  | 14 | 04 | —  | 72  | 20 | 06 | 02 | —  |
|     | (क) सहकारिता                      |     |    |    |    |     |    |    |    |    |
|     | (ख) निबंधक, सहयोग समितियाँ        | 43  | —  | —  | —  | —   | —  | —  | —  | —  |
|     | आय-व्ययक पदाधिकारी                | —   | —  | 01 | —  | —   | —  | 01 | —  | —  |
|     | विशेष पदाधिकारी (उपभोक्ता)        | —   | —  | 01 | —  | —   | —  | 01 | —  | —  |
| 31. | पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग       | 52  | 10 | 01 | —  | 48  | 13 | 04 | —  | —  |
|     | (क) पशुपालन निदेशालय              |     |    |    |    |     |    |    |    |    |
|     | (ख) मत्स्य निदेशालय               | 10  | 02 | —  | —  | 10  | 02 | —  | —  | —  |
|     | (ग) गव्य निदेशालय                 | 07  | 02 | —  | —  | 07  | 02 | —  | —  | —  |
| 32. | ऊर्जा विभाग                       | 13  | 02 | —  | —  | 12  | 02 | 01 | —  | —  |
| 33. | जल संसाधन विभाग                   | 274 | 47 | 04 | —  | 260 | 64 | 10 | 01 | 01 |
|     | कृषि विशेष कार्यक्रम              | 05  | 01 | —  | —  | 05  | 01 | —  | —  | —  |
| 34. | लघु जल संसाधन विभाग               | 66  | 12 | 01 | —  | 60  | 15 | 02 | 01 | —  |
| 35. | लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग     | 84  | 14 | 01 | —  | 82  | 20 | 02 | 01 | —  |
| 36. | पथ निर्माण विभाग                  | 146 | 24 | 05 | 01 | 136 | 33 | 09 | 02 | 01 |
| 37. | सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग        | 23  | 05 | 02 | —  | 21  | 06 | 02 | 01 | —  |
| 38. | पर्यटन विभाग                      | 05  | 01 | —  | —  | 05  | 01 | —  | —  | —  |
| 39. | कला, संस्कृति एवं युवा विभाग      | 16  | 03 | 01 | —  | 16  | 04 | 01 | —  | —  |
| 40. | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग       | 94  | 15 | 04 | 01 | 86  | 20 | 05 | 01 | —  |
|     | (क) राजस्व एवं भूमि सुधार         |     |    |    |    |     |    |    |    |    |
|     | (ख) भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय | 08  | 02 | —  | —  | 08  | 02 | —  | —  | —  |
|     | (ग) राजस्व पर्षद                  | 20  | 03 | —  | 01 | 20  | 04 | 01 | 01 | —  |
| 41. | श्रम संसाधन विभाग                 | 85  | 17 | 03 | —  | 76  | 21 | 05 | 02 | —  |
|     | बाल श्रमिक आयोग                   | 03  | 01 | —  | —  | 03  | 01 | —  | —  | —  |
| 42. | खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण        | 41  | 08 | 01 | 01 | 36  | 10 | 02 | 01 | —  |
| 43. | विधि विभाग                        | 27  | 06 | 03 | 01 | 26  | 07 | 03 | 01 | —  |
|     | न्यायाधिकरण विधि आयोग             | 01  | —  | —  | —  | 01  | —  | —  | —  | —  |
|     | अवर सचिव-सह-विशेष पदाधिकारी       | —   | —  | 01 | —  | —   | —  | 01 | —  | —  |
| 44. | भवन निर्माण विभाग                 | 87  | 12 | 02 | —  | 80  | 19 | 04 | 01 | —  |

|     |                                                    |      |     |     |    |      |     |     |    |    |
|-----|----------------------------------------------------|------|-----|-----|----|------|-----|-----|----|----|
| 45. | मुख्य मंत्री सचिवालय                               | 23   | 06  | 04  | 01 | 23   | 06  | 04  | 01 | —  |
|     | सहायक सचिव<br>(मंत्रिमण्डल सचिवालय<br>विभाग)       | —    | —   | 01  | —  | —    | —   | 01  | —  | —  |
| 46. | अल्प संख्यक कल्याण<br>आयोग                         | 02   | 01  | —   | —  | 02   | 01  | —   | —  | —  |
| 47. | राज्य निर्वाचन आयोग                                | 10   | 02  | —   | —  | 10   | 02  | —   | —  | —  |
| 48. | बिहार कर्मचारी चयन<br>आयोग                         | 25   | 05  | —   | —  | 25   | 05  | —   | —  | —  |
| 49. | राज्य सूचना आयोग                                   | 05   | 01  | 01  | —  | 05   | 01  | 01  | —  | —  |
| 50. | राज्य विधि आयोग                                    | 03   | —   | —   | —  | 03   | —   | —   | —  | —  |
| 51. | महाधिवक्ता बिहार का<br>कार्यालय                    | 21   | 03  | —   | —  | 21   | 03  | —   | —  | —  |
| 52. | पिछड़े वर्गों के लिए<br>राज्य आयोग                 | 02   | 01  | 01  | —  | 02   | 01  | 01  | —  | —  |
| 53. | बिहार राज्य निर्वाचन<br>प्राधिकार                  | 04   | 02  | 01  | 01 | 04   | 02  | 01  | 01 | —  |
| 54. | प्रमण्डलीय आयुक्त<br>कार्यालय, पटना                | 30   | 04  | —   | —  | 30   | 05  | —   | —  | —  |
| 55. | प्रमण्डलीय आयुक्त<br>कार्यालय, गया                 | 15   | 02  | —   | —  | 15   | 03  | —   | —  | —  |
| 56. | प्रमण्डलीय आयुक्त<br>कार्यालय, मुजफ्फरपुर          | 31   | 05  | —   | —  | 30   | 06  | —   | —  | —  |
| 57. | प्रमण्डलीय आयुक्त<br>कार्यालय, छपरा                | 15   | 02  | —   | —  | 15   | 03  | —   | —  | —  |
| 58. | प्रमण्डलीय आयुक्त<br>कार्यालय, दरभंगा              | 15   | 02  | —   | —  | 15   | 03  | —   | —  | —  |
| 59. | प्रमण्डलीय आयुक्त<br>कार्यालय, पूर्णियाँ           | 06   | 02  | —   | —  | 06   | 02  | —   | —  | —  |
| 60. | प्रमण्डलीय आयुक्त<br>कार्यालय, भागलपुर             | 35   | 04  | —   | —  | 34   | 05  | —   | —  | —  |
| 61. | प्रमण्डलीय आयुक्त<br>कार्यालय, मुँगेर              | 06   | 01  | —   | —  | 06   | 02  | —   | —  | —  |
| 62. | प्रमण्डलीय आयुक्त<br>कार्यालय, सहरसा               | 16   | 02  | —   | —  | 15   | 03  | —   | —  | —  |
| 63. | राज्य महादलित आयोग<br>(कार्मिक विभाग)              | —    | 01  | 01  | —  | —    | 01  | 01  | —  | —  |
| 64. | अति पिछड़े वर्गों के लिए<br>राज्य आयोग             | —    | 01  | 01  | —  | —    | 01  | 01  | —  | —  |
| 65. | अन्य विभाग/कार्यालय<br>(जहाँ से सूचना अप्राप्त है) | 77   | —   | —   | —  | —    | —   | —   | —  | —  |
|     | कुल योग                                            | 3136 | 576 | 112 | 26 | 2888 | 750 | 168 | 39 | 05 |

कुल योग :- 3850

कुल योग :- 3850

## बिहार सरकार

## कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,

वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

द्वारा :- वित्त विभाग, बिहार।\*

\*अनौपचारिक रूप

पटना-15, दिनांक 30. 03. 2009

से परामर्शित

विषय :- आरोपित पदाधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के त्वरित संचालन हेतु विभागीय जाँच आयुक्त/अपर विभागीय जाँच आयुक्त कार्यालय के लिए स्थायी रूप से राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों का कुल अनुमानित वार्षिक व्यय 13,35,480/- (तेरह लाख पैंतीस हजार चार सौ अस्सी रुपये मात्र) रुपये की स्वीकृति।

आदेश:-स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने आरोपित पदाधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु निम्नांकित पदों के सृजन करने का निर्णय लिया है-

| क्रम | कोटि<br>वर्ग | पदनाम             | सेवा संवर्ग | पदों की<br>संख्या | वेतनमान                                        |
|------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------------------------------------|
| 1.   | 2            | प्रशाखा पदाधिकारी | बि०स०से०    | 01                | 6500-200-10500/-                               |
| 2.   | 3            | सहायक             | बि० स० से०  | 02                | 5500-175-9000/-                                |
| 3.   | 3            | उच्चवर्गीय लिपिक  | बि० लि० से० | 01                | 4000-100-6000/-                                |
| 4.   | 3            | निम्नवर्गीय लिपिक | बि० लि० से० | 01                | 3050-75-3950-80-4590/-                         |
| 5.   | 4            | आदेशपाल           | -----       | 03                | 2550-55-2660-60-3200/-                         |
| 6.   | ----         | कम्प्यूटर ऑपरेटर  | -----       | 02                | अनुबंध<br>(वित्त विभाग द्वारा निर्धारित दर पर) |

2. उपर्युक्त पदों का स्थायी रूप से गैर-योजना मद में सृजन किया गया है जो विभागीय जाँच आयुक्त के स्थापना के अधीन रहेगा।

3. उपर्युक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2008-09 में अनुमानित वार्षिक व्यय 13,35,480/- (तेरह लाख पैंतीस हजार चार सौ अस्सी) रुपये मात्र (व्यय विवरणी संलग्न) होगा, जिसका वहन बजट शीर्ष "2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-090-सचिवालय-0004-कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के लिए" विपत्र कोड संख्या-एन.-2052000900004 से किया जायेगा।

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा उक्त राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

5. पदों के सृजन का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की दिनांक 24.02.2009 की बैठक में मद संख्या-1 के रूप में स्वीकृत है।  
6. यू० ओ० आर०-136 दिनांक 05.03.2009 द्वारा वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से  
राजीव लोचन  
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 4/वि०-1-109/2008-का०-2486

पटना-15, दिनांक 30.03.09

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राजीव लोचन  
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 4/वि०-1-109/2008-का०-2486

पटना-15, दिनांक 30.03.09

प्रतिलिपि- सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

राजीव लोचन  
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 4/वि०-1-109/2008-का०-2486

पटना-15, दिनांक 30.03.09

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बिहार, पटना/विभागीय जाँच आयुक्त एवं अपर विभागीय जाँच आयुक्त, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना/मंत्रिपरिषद् के बैठक दिनांक 24.02.2009 के मद संख्या-01 के आलोक में संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के सभी प्रशाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राजीव लोचन  
सरकार के विशेष सचिव



आरोपित पदाधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु विभागीय जॉच आयुक्त/अपर विभागीय जॉच आयुक्त के कार्यालय के लिए राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों के सृजन के लिए अनुमानित वार्षिक व्यय विवरणी:-

वर्ष 2008-09

| क्रम सं० | कोटि वर्ग | पदनाम             | वेतनमान              | वेतन     | महँगाई वेतन | महँगाई भत्ता (47%) | नगर क्षतिपूर्ति भत्ता | मकान किराया भत्ता | परिवहन भत्ता | चिकित्सा भत्ता | योग   | पदों की संख्या | कुल योग (एक माह का) | एक वर्ष के लिए कुल व्यय (अनुमानित व्यय) | अभ्युक्ति                                         |
|----------|-----------|-------------------|----------------------|----------|-------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------|----------------|-------|----------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1        | 2         | 3                 | 4                    | 5        | 6           | 7                  | 8                     | 9                 | 10           | 11             | 12    | 13             | 14                  | 15                                      | 16                                                |
| 1.       | 2         | प्रशाखा पदाधिकारी | 6500-200-10500       | 8500 / - | 4250        | 5993               | 180                   | 1913              | 200          | 100            | 21136 | 1              | 21136               | 253632                                  |                                                   |
| 2.       | 3         | सहायक             | 5500-175-9000        | 7250 / - | 3625        | 5111               | 180                   | 1631              | 75           | 100            | 17972 | 2              | 35944               | 431328                                  |                                                   |
| 3.       | 3         | उच्चवर्गीय लिपिक  | 4000-100-6000        | 5000 / - | 2500        | 3525               | 180                   | 1125              | 75           | 100            | 12505 | 1              | 12505               | 150060                                  |                                                   |
| 4.       | 3         | निम्नवर्गीय लिपिक | 3050-75-3950-80-4590 | 3950 / - | 1975        | 2785               | 180                   | 889               | 75           | 100            | 9954  | 1              | 9954                | 119448                                  |                                                   |
| 5.       | 4         | आदेशपाल           | 2550-55-2660-60-3200 | 2660 / - | 1330        | 1875               | 100                   | 599               | 75           | 100            | 6739  | 3              | 20217               | 242604                                  |                                                   |
| 6.       | -         | कम्प्यूटर ऑपरेटर  | -----                | 5767 / - | ---         | ---                | ---                   | ---               | ---          | ---            | 5767  | 2              | 11534               | 138408                                  | अनुबंध<br>(वित्त विभाग द्वारा<br>निर्धारित दर पर) |
| 7.       | -         | कुल योग           | -----                | 33127    | 13680       | 19289              | 820                   | 6157              | 500          | 500            | 74073 | 10             | 111290              | 1335480                                 |                                                   |

(तेरह लाख पैंतीस हजार चार सौ अस्सी रुपये मात्र)

(राजीव लोचन)

सरकार के विशेष सचिव

**बिहार सरकार**  
**कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग**  
**संकल्प**

पटना-15, दिनांक 30. 12. 2008

**विषय :-** बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 03, 2008) के प्रख्यापन के फलस्वरूप बिहार सचिवालय सेवा के विभिन्न ग्रेडों के पदों के पुनर्निर्धारण के संबंध में।

वित्त विभाग के ज्ञापांक 660, दिनांक 08.02.99 द्वारा अधिसूचित राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 03, 2008) द्वारा बिहार सचिवालय सेवा का गठन किया जा चुका है। फलस्वरूप बिहार सचिवालय सेवा के विभिन्न ग्रेड के पदों का पुनर्गठन आवश्यक हो गया है।

2. अतः बिहार सचिवालय सेवा के पदों के पुनर्गठन पर विचार किये जाने हेतु निम्नांकित रूप में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है—

- |                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| (i) विकास आयुक्त                              | — अध्यक्ष ।    |
| (ii) प्रधान सचिव, वित्त विभाग                 | — सदस्य ।      |
| (iii) प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग           | — सदस्य ।      |
| (iv) प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग | — सदस्य ।      |
| (v) प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग         | — सदस्य ।      |
| (vi) सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग  | — सदस्य सचिव । |

3. समिति के समक्ष विचारणीय विन्दु निम्नांकित होंगे—

- (i) बिहार सचिवालय सेवा के विभिन्न ग्रेड के पदों में व्याप्त गत्यवरोध की समीक्षा करना। इस क्रम में संबंधित संघों के पक्ष को सुनकर उन पर भी विचार करना।
- (ii) उपर्युक्त (i) के निष्कर्ष के आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुरूप बिहार सचिवालय सेवा (फीडर संवर्ग सहित) की संरचना की समीक्षा करना एवं पुनर्गठन का प्रस्ताव देना।
- (iii) बिहार सचिवालय सेवा के विभिन्न स्तरों के कर्मियों के लिए अल्प-अवधि एवं दीर्घ-अवधि के संवर्गीय प्रोन्नति के लिए समय-सीमा को तर्कसंगत बनाने के संबंध में सुधारात्मक उपाय एवं कर्मियों की दक्षता में सुधार हेतु आवश्यक परामर्श देना।

4. उपर्युक्त समिति विचारोपरान्त अपना प्रतिवेदन यथासंभव तीन माहों के अन्दर देगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
आमिर सुबहानी  
सरकार के सचिव

ज्ञापांक-15/बि०स०से०-02-07/2008 का०-10303

पटना, दिनांक 30.12.2008

प्रतिलिपि— गजट कोषांग, वित्त विभाग बिहार, पटना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इसकी 100 (एक सौ) मुद्रित प्रतियाँ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायी जाय।

आमिर सुबहानी  
सरकार के सचिव

ज्ञापांक-15/बि०स०से०-02-07/2008 का०-10303

पटना, दिनांक 30.12.2008

प्रतिलिपि- विकास आयुक्त/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग/प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

आमिर सुबहानी

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-15/बि०स०से०-02-07/2008 का०-10303

पटना, दिनांक 30.12.2008

प्रतिलिपि- मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव के सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

राजवंश मणि सिंह

सरकार के संयुक्त सचिव

[4]

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

ज्ञापांक-3/एम०-53/2008 का०-6508

पटना-15, दिनांक 25. 09. 2008

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,

\*अनौपचारिक रूप

वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

से परामर्शित

द्वारा :- वित्त विभाग, बिहार, पटना।\*

विषय :- बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के उप मुख्य चुनाव पदाधिकारियों के सहायतार्थ कर्मचारियों के पदों का अनुमानित रु० 1,20,900/- (एक लाख बीस हजार नौ सौ रुपये) मात्र के व्यय पर सृजन।

2. आदेश :- स्वीकृत।

3. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 (बिहार अधिनियम 14, 2008) की धारा-3 (1) के तहत बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार का गठन किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा-3 (2) के अनुसार प्राधिकार में उतने उप मुख्य चुनाव पदाधिकारी भी होंगे जितना राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे। अतः उप मुख्य चुनाव पदाधिकारियों द्वारा उनके कर्तव्यों के सम्पादन में सहायतार्थ तत्काल आशुलिपिक के एक पद के सृजन की निम्नानुसार स्वीकृति प्रशासी पदवर्ग समिति की सहमति के फलस्वरूप प्रदान की जाती है।

| क्र. | पदनाम    | पदों की संख्या | वेतनमान     | अभ्युक्ति                                                                 |
|------|----------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 2        | 3              | 4           | 5                                                                         |
| 1    | आशुलिपिक | 01             | 4000-6000/- | गैर-संवर्गीय जिस पर नियुक्ति राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा किया जायेगा। |

4. उपर्युक्त पद पर होने वाले व्यय का विकलन बजट शीर्ष-"2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-00-800-अन्य व्यय-0017-बिहार निर्वाचन प्राधिकार हेतु-N-गैर योजना" के अंतर्गत विपत्र कोड- N-2070008000017 के अंतर्गत होगा। व्यय विवरणी संलग्न है।

5. यू.ओ.आर.नं.—3750 दिनांक 09.09.2008 द्वारा वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।  
6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
सरयुग प्रसाद  
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-3/एम०-53/2008 का०-6508

पटना-15, दिनांक 25.09.2008

प्रतिलिपि— कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, बिहार, पटना-15 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरयुग प्रसाद  
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-3/एम०-53/2008 का०-6508

पटना-15, दिनांक 25.09.2008

प्रतिलिपि— वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो प्रतियों में (एक प्रति बजट शाखा एवं एक प्रति प्रशासी पदवर्ग समिति हेतु)/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, लेखा शाखा को (दो प्रतियों में)/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना/बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरयुग प्रसाद  
सरकार के उप सचिव।

[5]

पत्र संख्या-3/एम-39/2008 का०-3228

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,

वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

\*अनौपचारिक रूप

से परामर्शित

द्वारा:- वित्त विभाग, बिहार।\*

पटना-15, दिनांक 30. 05. 2008

विषय :- बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के लिए पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदों के सृजन एवं तीन वाहनों (यथा एक ए०सी० एम्बेस्डर, एक नन ए०सी० एम्बेस्डर तथा एक मारुति जिप्सी) का क्रय पर अनुमानित व्यय 64,18,632/- (चौसठ लाख अठारह हजार छः सौ बत्तीस) रुपये।

(2) आदेश :- स्वीकृत।

(3) बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 (बिहार अधिनियम 14, 2008) की धारा-3 (1) के तहत बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार का गठन किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा-3 (2) के अनुसार प्राधिकार में एक मुख्य चुनाव पदाधिकारी एवं उतने उप मुख्य चुनाव पदाधिकारी होंगे, जितना राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे। उक्त अधिनियम की धारा-4 (3) में राज्य सरकार द्वारा प्राधिकार को पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

(4) अतः प्राधिकार के कार्यों के सम्पादन हेतु निम्नलिखित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदों की सृजन और तीन वाहनों (एक ए०सी० एम्बेस्डर, एक नन ए०सी० एम्बेस्डर तथा एक मारुति जिप्सी) के क्रय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

| क्र० | पदनाम                                                | पदों की संख्या | वेतनमान     | अभ्युक्ति |
|------|------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------|
| 1    | 2                                                    | 3              | 4           | 5         |
| 1    | प्राधिकार के सचिव<br>(बि०प्र०से० के निदेशक स्तर में) | 1              | 16400-20000 |           |
| 2    | संयुक्त सचिव<br>(बि०प्र०से०)                         | 1              | 14300-18300 |           |
| 3    | उप सचिव<br>(बि०स०से०)                                | 1              | 12000-16500 |           |
| 4    | अवर सचिव<br>(बि०स०से०)                               | 1              | 10000-15200 |           |
| 5    | प्रशाखा पदाधिकारी (बि०स०से०)                         | 2              | 6500-10500  |           |
| 6    | सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी                            | 1              | 5500-9000   |           |
| 7    | सहायक (बि०स०से०)                                     | 4              | 5500-9000   |           |
| 8    | आप्त सचिव                                            | 1              | 6500-10500  |           |
| 9    | कनीय सांख्यिकी पर्यवेक्षक                            | 1              | 5000-8000   |           |
| 10   | आशुलिपिक                                             | 3              | 4000-6000   |           |
| 11   | लेखापाल                                              | 1              | 4000-6000   |           |
| 12   | कम्प्यूटर ऑपरेटर                                     | 1              | 4000-6000   |           |
| 13   | निम्न वर्गीय लिपिक                                   | 6              | 3050-4590   |           |
| 14   | वाहन चालक                                            | 3              | 3050-4590   |           |
| 15   | कोषागार सरकार                                        | 1              | 2750-4400   |           |
| 16   | पदचर                                                 | 7              | 2550-3200   |           |

(5) उपर्युक्त पदों के सृजन एवं वाहन क्रय पर चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 में रु० 64,18,632 (चौसठ लाख अठारह हजार छः सौ बत्तीस रुपये) मात्र व्यय होने का अनुमान है, जो बजट शीर्ष "2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-00-800 अन्य व्यय-0017 -बिहार निर्वाचन प्राधिकार हेतु -N-गैर योजना" के अन्तर्गत विपन्न कोड N-2070008000017 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

- (6) यू०ओ०आर०नं०-250/F-7, दिनांक 16.05.08 द्वारा वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।  
(7) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
सरयुग प्रसाद  
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-3/एम-39/2008 का०-3228

पटना-15, दिनांक 30.05.2008

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना-15 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरयुग प्रसाद  
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-3/एम-39/2008 का०-3228

पटना-15, दिनांक 30.05.2008

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, (दोहरी प्रति में-एक बजट शाखा एवं एक प्रशासी पदवर्ग समिति हेतु)/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (लेखा शाखा/प्रशाखा-1/प्रशाखा-4/प्रशाखा-14/प्रशाखा-15/प्रशाखा-17)/राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरयुग प्रसाद  
सरकार के उप सचिव।

[6]

पत्र सं०-4/वि-1-107/2007 -का०-11254

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,

वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

\*अनौपचारिक रूप

से परामर्शित

द्वारा:- वित्त विभाग, बिहार।\*

पटना-15, दिनांक 12. 11. 2007

विषय :-अवर सचिव तथा उससे नीचे स्तर के आरोपित पदाधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के (2) दो पद एवं सचिवालय सम्बर्ग के (8) आठ पदों का कुल 19,41,096 (उन्नीस लाख एकतालीस हजार छानवे रुपये मात्र) के वार्षिक व्यय पर स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने अवर सचिव तथा उससे नीचे स्तर के आरोपित पदाधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग एवं सचिवालय संवर्ग के निम्नांकित पदों का सृजन करने का निर्णय लिया है :-

| क्र. | पद का नाम                                | सेवा संवर्ग          | पदों की संख्या | वेतनमान                  |
|------|------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
| 1    | 2                                        | 3                    | 4              | 5                        |
| 1    | उप विभागीय जाँच आयुक्त (उप सचिव स्तर का) | बिहार प्रशासनिक सेवा | 02             | 12000-375-16500 / -      |
| 2    | प्रशाखा पदाधिकारी                        | सचिवालय संवर्ग       | 01             | 6500-200-10,500 / -      |
| 3    | सहायक                                    | सचिवालय संवर्ग       | 02             | 5500-175-9000 / -        |
| 4    | आशुलिपिक                                 | सचिवालय संवर्ग       | 02             | 4000-100-6000 / -        |
| 5    | आदेशपाल                                  | सचिवालय संवर्ग       | 03             | 2550-55-2660-60-3200 / - |

2. बिहार प्रशासनिक सेवा एवं सचिवालय संवर्ग के उपर्युक्त पदों का स्थायी रूप से गैर योजना मद में सृजन किया गया है, जो विभागीय जाँच आयुक्त की स्थापना के अधीन रहेगा।

3. उक्त (3+7=10) 10 (दस) राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों का वित्तीय वर्ष 2007-2008 में अनुमानित वार्षिक व्यय रुपये 19,41,096.00 (उन्नीस लाख एकतालीस हजार छियानवे रुपये मात्र) (व्यय विवरणी संलग्न) होगा, जिसका वहन बजट शीर्ष "2052-सचिवालय सामान्य सेवाएँ-009-सचिवालय-0004-कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के लिए" विपत्र कोड संख्या 2052000900004 से किया जायेगा।

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा उक्त राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

5. पदों के सृजन का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की दिनांक 16.10.07 की बैठक में मद सं० (2) के रूप में स्वीकृत है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

भगलु रजक

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-4/वि-1-107/07 का०-11254

पटना-15, दिनांक 12.11.07

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

भगलु रजक

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-4/वि-1-107/07 का०-11254

पटना-15, दिनांक 12.11.07

प्रतिलिपि- वित्त विभाग, बिहार, पटना/विभागीय जाँच आयुक्त, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सचिव के सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के सभी प्रशाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

भगलु रजक

सरकार के संयुक्त सचिव।

अवर सचिव तथा उससे नीचे स्तर के आरोपित पदाधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु बिहार प्रशासनिक सेवा एवं सचिवालय सम्मर्ग के पदों के सृजन के लिए अनुमानित वार्षिक व्यय विवरणी:-

वर्ष 2007-2008

| क्र. | कोटि वर्ग | पदनाम                                   | पदों की संख्या | वेतनमान                    | वेतन             | 50% महंगाई भत्ता | महंगाई भत्ता @ 35% | नगर क्षतिपूरक भत्ता | मकान भाड़ा (15%) | सवारी भत्ता | चिकित्सा भत्ता | कुल (एक माह का) | एक वर्ष के लिए कुल (अनुमानित व्यय) | अभ्युक्ति |
|------|-----------|-----------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------|----------------|-----------------|------------------------------------|-----------|
| 1    | 2         | 3                                       | 4              | 5                          | 6                | 7                | 8                  | 9                   | 10               | 11          | 12             | 13              | 14                                 | 15        |
| 1    | 1         | उप विभागीय जॉच आयुक्त (उप सचिव स्तर का) | 2              | 12000-375-16500/-          | 14250X2<br>28500 | 14250            | 14964              | 360                 | 6404             | 800         | 200            | 65478           | 785736.00                          |           |
| 2    | 2         | प्रशाखा पदाधिकारी                       | 1              | 6500-200-10500/-           | 8500             | 4250             | 4463               | 180                 | 1913             | 200         | 100            | 19606           | 235272.00                          |           |
| 3    | 3         | सहायक                                   | 2              | 5500-175-9000/-            | 7250X2<br>14500  | 7250             | 7612               | 360                 | 3262             | 150         | 200            | 33334           | 400008.00                          |           |
| 4    | 3         | आशुलिपिक                                | 2              | 4000-100-6000/-            | 5000X2<br>10000  | 5000             | 5250               | 360                 | 2250             | 150         | 200            | 23210           | 278520.00                          |           |
| 5    | 4         | आदेशपाल                                 | 3              | 2550-55-2660-60<br>-3200/- | 2875X3<br>8625   | 4314             | 4530               | 195                 | 1941             | 225         | 300            | 20130           | 241560.00                          |           |
|      |           | कुल योग                                 |                |                            | 70125            | 35064            | 36819              | 1455                | 15770            | 1525        | 1000           | 161758          | 1941096.00                         |           |

(उन्नीस लाख इकतालिस हजार छियानवे रुपये मात्र)

भगलु रजक

सरकार के संयुक्त सचिव



**बिहार सरकार**  
**कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग**  
**कार्यालय आदेश**

का०आ०सं०-4/वि०-3-102/2007 का०-342

पटना-15, दिनांक 06. 09. 2007

संयुक्त स्थापना की व्यवस्था समाप्त किये जाने के फलस्वरूप कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश संख्या-332 दिनांक-21.08.2007 द्वारा वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के कर्मियों का विभागवार अंतिम आबंटन किया गया है। उक्त आबंटन के उपरान्त निम्नांकित कर्मियों को कॉलम-4 में अंकित विभाग में योगदान करने हेतु दिनांक 07.09.2007 के अपराहन से विरमित किया जाता है :-

| क्रम | नाम एवं पदनाम                                                   | वर्तमान पदस्थापन विभाग     | नव आबंटित विभाग                     |
|------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1    | 2                                                               | 3                          | 4                                   |
| 1.   | श्री भूप नारायण चौधरी,<br>उच्च वर्गीय लिपिक (टंकक)              | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग | मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग |
| 2.   | श्री ब्रह्मदेव प्रसाद साह,<br>उच्च वर्गीय लिपिक (टंकक)          | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग | संसदीय कार्य विभाग                  |
| 3.   | श्री अजय कुमार,<br>उच्च वर्गीय लिपिक (टंकक)                     | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग | गृह (आरक्षी) विभाग                  |
| 4.   | श्री श्रीनन्दन महतो,<br>उच्च वर्गीय लिपिक<br>(दिनचर्या लिपिक)   | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग            |
| 5.   | श्री शिवचन्द्र रविदास,<br>उच्च वर्गीय लिपिक<br>(दिनचर्या लिपिक) | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग            |
| 6.   | श्री कृष्णानन्द सहाय,<br>उच्च वर्गीय लिपिक<br>(दिनचर्या लिपिक)  | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग | संसदीय कार्य विभाग                  |
| 7.   | श्रीमती सुधा सहाय,<br>निम्न वर्गीय लिपिक                        | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग | संसदीय कार्य विभाग                  |
| 8.   | श्री श्रवण कुमार, आदेशपाल                                       | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग            |
| 9.   | श्री शत्रुघ्न शर्मा, आदेशपाल                                    | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग | गृह (आरक्षी) विभाग                  |

2. माह सितम्बर, 2007 के वेतन का भुगतान संबंधित कर्मी अपने नव आबंटित विभाग से प्राप्त करेंगे।

भगलु रजक  
सरकार के संयुक्त सचिव।

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना/संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव (लेखा), कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार पटना (दो प्रतियों में)/प्रशाखा-08, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित)/मुख्य सचिव के सचिव, बिहार, पटना/सचिव के सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना/बिहार राज्य नागरिक परिषद, पटना एवं संबंधित सभी कर्मियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

भगलु रजक

सरकार के संयुक्त सचिव।

[8]

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग  
कार्यालय आदेश

का०आ०सं०-4/वि०-3-102/2007 का०-332

पटना-15, दिनांक 21. 08. 2007

विभागीय ज्ञापांक 7473 दिनांक 20.07.2007 द्वारा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की संयुक्त व्यवस्था को समाप्त करते हुए वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पदों को विभागवार आबंटित किया गया है। संलग्न सूची के अनुसार वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के निम्नांकित कर्मियों (पदधारकों) का विभागवार अंतिम आबंटन किया जाता है।

2. कर्मियों का अंतिम आबंटन के फलस्वरूप स्थापना सहित अन्य सभी कार्यों का निष्पादन संबंधित कर्मियों के आबंटित विभाग द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जायेगा।
3. नव आबंटित विभाग के कर्मियों को उनके वर्तमान पदस्थापन विभाग द्वारा विरमित करने की कार्रवाई की जायेगी।
4. नव आबंटित विभाग के कर्मियों को उनके संबंधित विभाग द्वारा वेतन का भुगतान किया जाएगा।

**(क) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग**

टंकक (उच्च वर्गीय लिपिक) :-

| क्र० | नाम                                        | वर्तमान पदस्थापन                                                                     | नया आबंटन (विभाग)          | अभ्युक्ति |
|------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|
| 1    | 2                                          | 3                                                                                    | 4                          |           |
| 1.   | श्री इसीदोर मिंज,<br>प्रधान टंकक (उ०व०लि०) | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग                                                             | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |           |
| 2.   | श्री ओम प्रकाश,<br>टंकक (उ०व०लि०)          | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग                                                           | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |           |
| 3.   | श्री सूर्यदेव सिंह<br>टंकक (उ०व०लि०)       | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग<br>(राज्य परामर्शदातृ समिति<br>कार्यालय में प्रतिनियुक्त) | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |           |

|     |                                                 |                                                                                  |                            |  |
|-----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|
| 4.  | श्री त्रियुगीनाथ शर्मा,<br>टंकक (उ०व०लि०)       | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग                                                       | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |  |
| 5.  | श्री राधेश्याम नारायण प्रसाद,<br>टंकक (उ०व०लि०) | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग                                                       | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |  |
| 6.  | श्री रामकिशुन महतो,<br>टंकक (उ०व०लि०)           | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग<br>(विभागीय जाँच आयुक्त कार्यालय<br>में प्रतिनियुक्त) | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |  |
| 7.  | श्रीमती माधुरी सिन्हा,<br>टंकक (उ०व०लि०)        | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग                                                       | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |  |
| 8.  | श्री नोखे लाल यादव,<br>टंकक (उ०व०लि०)           | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग                                                       | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |  |
| 9.  | श्री रामनरेश मिस्त्री,<br>टंकक (उ०व०लि०)        | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग                                                       | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |  |
| 10. | श्री शंभू शरण चौधरी,<br>टंकक (उ०व०लि०)          | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग                                                       | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |  |
| 11. | श्री हरेकान्त झा,<br>टंकक (उ०व०लि०)             | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग                                                       | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |  |
| 12. | श्री रंगबहादुर सिंह,<br>टंकक (उ०व०लि०)          | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग                                                       | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |  |
| 13. | श्री प्रह्लाद प्रसाद,<br>टंकक (उ०व०लि०)         | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग                                                       | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |  |
| 14. | श्री राज कुमार चौधरी<br>टंकक (उ०व०लि०)          | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग                                                       | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |  |
| 15. | श्री रामकिशोर प्रसाद<br>टंकक (उ०व०लि०) निलंबित  | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग<br>(बिहार कर्मचारी चयन आयोग)                          | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |  |
| 16. | श्रीमती माला सिन्हा<br>टंकक (उ०व०लि०)           | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग                                                       | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |  |
| 17. | श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह<br>टंकक (उ०व०लि०)    | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग                                                       | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |  |

कुल पद— 18+1 (नवगठित सूचना कोषांग हेतु उ०व०लि० के सृजित 01 पद) =19

कुल कार्यरत बल— 17

रिक्त पद— 02

दिनचर्या लिपिक (उच्च वर्गीय लिपिक)/निम्न वर्गीय लिपिक :-

| क्र० | नाम                                                                       | वर्तमान पदस्थापन                                                                     | नया आबंटन (विभाग)          | अभ्युक्ति |
|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|
| 1    | 2                                                                         | 3                                                                                    | 4                          | 5         |
| 1.   | श्री शेख मोहम्मद अख्तर,<br>उच्च वर्गीय लिपिक<br>(दिनचर्या लिपिक)          | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग<br>(विभागीय जाँच आयुक्त<br>कार्यालय में प्रतिनियुक्त)     | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |           |
| 2.   | श्री कैलाश चौधरी,<br>उच्च वर्गीय लिपिक<br>(दिनचर्या लिपिक )               | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग                                                           | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |           |
| 3.   | श्री राज्यवर्द्धन प्रसाद,<br>उच्च वर्गीय लिपिक<br>(दिनचर्या लिपिक)        | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग                                                           | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |           |
| 4.   | श्रीमती ललिता कुमारी,<br>उच्च वर्गीय लिपिक<br>(दिनचर्या लिपिक)            | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग                                                           | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |           |
| 5.   | श्री बिनोद कुमार श्रीवास्तव,<br>उच्च वर्गीय लिपिक<br>(दिनचर्या लिपिक)     | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग<br>(राज्य परामर्शदातृ समिति<br>कार्यालय में प्रतिनियुक्त) | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |           |
| 6.   | श्री राम चरित्र राय,<br>उच्च वर्गीय लिपिक<br>(दिनचर्या लिपिक)             | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग                                                           | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |           |
| 7.   | श्री योगेन्द्र प्रसाद यादव,<br>उच्च वर्गीय लिपिक<br>(दिनचर्या लिपिक)      | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग                                                           | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |           |
| 8.   | श्री अजय कुमार वर्मा,<br>उच्च वर्गीय लिपिक<br>(दिनचर्या लिपिक)<br>निलंबित | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग<br>(बिहार कर्मचारी चयन<br>आयोग में प्रतिनियुक्त)          | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |           |
| 9.   | श्री मोहराई सिंह,<br>उच्च वर्गीय लिपिक<br>(दिनचर्या लिपिक)                | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग                                                           | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |           |
| 10.  | श्री परमानन्द सिंह,<br>उच्च वर्गीय लिपिक<br>(दिनचर्या लिपिक)              | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग                                                           | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |           |
| 11.  | श्री रामदास राम,<br>उच्च वर्गीय लिपिक<br>(दिनचर्या लिपिक)                 | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग                                                           | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |           |

|     |                                                              |                                                         |                            |  |
|-----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|--|
| 12. | श्री मदन लाल मिश्र,<br>उच्च वर्गीय लिपिक<br>(दिनचर्या लिपिक) | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग                              | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |  |
| 13. | श्रीमती जीनत कौसर,<br>उच्च वर्गीय लिपिक<br>(दिनचर्या लिपिक)  | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग                              | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |  |
| 14. | श्रीमती पूनम कुमारी सिन्हा,<br>निम्न वर्गीय लिपिक            | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग                              | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |  |
| 15. | श्री उज्ज्वल कुमार सिन्हा,<br>निम्न वर्गीय लिपिक             | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग                              | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |  |
| 16. | श्री अवधेश कुमार,<br>निम्न वर्गीय लिपिक, निलंबित             | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग<br>(बिहार कर्मचारी चयन आयोग) | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |  |
| 17. | श्री राकेश कुमार पाल,<br>निम्न वर्गीय लिपिक                  | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग                              | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |  |
| 18. | श्री संजय कुमार,<br>निम्न वर्गीय लिपिक                       | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग                              | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |  |

कुल पद -18

कुल कार्यरत बल -18

रिक्त पद -00

चालक :-

| क्र० | नाम                         | वर्तमान पदस्थापन           | नया आबंटन (विभाग)          | अभ्युक्ति |
|------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|
| 1    | 2                           | 3                          | 4                          | 5         |
| 1.   | श्री राजाराम चौधरी,<br>चालक | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |           |
| 2.   | श्री अशोक कुमार,<br>चालक    | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |           |
| 3.   | श्री रवीन्द्र कुमार सिन्हा  | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |           |

कुल पद -03

कुल कार्यरत बल -03

रिक्त पद -00

अभिलेखवाह :-

| क्र० | नाम                                   | वर्तमान पदस्थापन           | नया आबंटन (विभाग)          | अभ्युक्ति |
|------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|
| 1    | 2                                     | 3                          | 4                          | 5         |
| 1.   | श्री सम्पत कुमार तिवारी,<br>अभिलेखवाह | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |           |

कुल पद -01

कुल कार्यरत बल -01

रिक्त पद -00

**ट्रेजरी सरकार :-**

| क्र० | नाम                                  | वर्तमान पदस्थापन           | नया आबंटन (विभाग)          | अभ्युक्ति |
|------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|
| 1    | 2                                    | 3                          | 4                          | 5         |
| 1.   | श्री बिन्दा पासवान,<br>ट्रेजरी सरकार | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |           |

कुल पद -01

कुल कार्यरत बल -01

रिक्त पद -00

**आदेशपाल :-**

| क्र० | नाम                     | वर्तमान पदस्थापन           | नया आबंटन (विभाग)          | अभ्युक्ति |
|------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|
| 1    | 2                       | 3                          | 4                          | 5         |
| 1.   | श्री इन्द्रासन महाराज,  | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |           |
| 2.   | श्री प्रभात शंकर सिंह,  | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |           |
| 3.   | श्री शिवपूजन प्रसाद,    | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |           |
| 4.   | श्री लक्ष्मण राम        | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |           |
| 5.   | श्री महेश पासवान        | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |           |
| 6.   | श्री जयराम साव          | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |           |
| 7.   | श्री जयराम प्रसाद       | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |           |
| 8.   | श्री रियासत सफी         | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |           |
| 9.   | श्री अब्दुल हकीम        | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |           |
| 10.  | श्री रामदयाल राम        | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |           |
| 11.  | श्री जयनारायण मंडल      | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |           |
| 12.  | श्रीमती लल्ली देवी      | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |           |
| 13.  | श्रीमती कान्ति देवी     | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |           |
| 14.  | मो० रशीद खाँ            | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |           |
| 15.  | श्री शंभू राम           | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |           |
| 16.  | श्री अशोक पासवान        | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |           |
| 17.  | श्री अर्जुन प्रसाद सिंह | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |           |
| 18.  | श्री शशिचन्द्र झा       | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |           |
| 19.  | श्री कृष्णा गोस्वामी    | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |           |
| 20.  | श्री जयनारायण चौधरी     | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |           |
| 21.  | श्रीमती गोदावरी सिंह    | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |           |
| 22.  | श्रीमती सीता देवी       | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |           |
| 23.  | श्रीमती सोना देवी       | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |           |
| 24.  | श्री प्रेम कुमार        | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |           |
| 25.  | श्रीमती चिन्ता देवी     | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |           |

|     |                    |                            |                            |  |
|-----|--------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| 26. | श्री दिनेश मांझी   | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |  |
| 27. | श्री बब्लू कुमार   | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |  |
| 28. | श्री सनीस कुमार    | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |  |
| 29. | श्री अनिल मरांडी   | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |  |
| 30. | श्रीमती मालती देवी | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |  |
| 31. | श्री सौरभ सिंह     | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग |  |

कुल पद -32

कुल कार्यरत बल -31

रिक्त पद -01

**(ख) मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग**

**टंकक (उच्च वर्गीय लिपिक) :-**

| क्र० | नाम                                           | वर्तमान पदस्थापन                                                                                                                       | नया आबंटन (विभाग)        | अभ्युक्ति                                                                                                                      |
|------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 2                                             | 3                                                                                                                                      | 4                        | 5                                                                                                                              |
| 1.   | श्री अशीष रजक,<br>अधीक्षक (उ०व०लि०)           | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग                                                                                                               | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग |                                                                                                                                |
| 2.   | श्री भूपनारायण चौधरी<br>टंकक (उ०व०लि०)        | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग                                                                                                               | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग |                                                                                                                                |
| 3.   | श्री बासुदेव प्रसाद,<br>प्रधान टंकक (उ०व०लि०) | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग                                                                                                               | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग |                                                                                                                                |
| 4.   | श्री रामेश्वर प्रसाद,<br>टंकक (उ०व०लि०)       | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग                                                                                                               | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग |                                                                                                                                |
| 5.   | श्री रामनाथ गुप्ता,<br>टंकक (उ०व०लि०)         | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग                                                                                                               | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग |                                                                                                                                |
| 6.   | श्री शंभू प्रसाद सिंह,<br>टंकक (उ०व०लि०)      | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग                                                                                                               | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग |                                                                                                                                |
| 7.   | श्री योगेन्द्र प्रसाद,<br>टंकक (उ०व०लि०)      | गृह (विशेष) विभाग के<br>आदेशानुसार मंत्रिमंडल सचिवालय<br>विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त<br>जानकारी के अनुसार उनके<br>विभाग में कार्यरत। | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग | भारत<br>सरकार से<br>संशोधित<br>आदेश प्राप्त<br>होने तक<br>श्री प्रसाद<br>बिहार के<br>टंकक संवर्ग<br>की सूची में<br>बने रहेंगे। |

कुल पद - 08

कुल कार्यरत - 07

रिक्त पद - 01

**दिनचर्या लिपिक (उच्च वर्गीय लिपिक)/निम्न वर्गीय लिपिक :-**

| क्र० | नाम                                                                 | वर्तमान पदस्थापन                                                     | नया आबंटन (विभाग)        | अभ्युक्ति |
|------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| 1    | 2                                                                   | 3                                                                    | 4                        | 5         |
| 1.   | श्री शैलेश कुमार,<br>उच्च वर्गीय लिपिक<br>(दिनचर्या लिपिक)          | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग                                             | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग |           |
| 2.   | श्री विजय कुमार सिंह,<br>उच्च वर्गीय लिपिक<br>(दिनचर्या लिपिक)      | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग                                             | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग |           |
| 3.   | श्री श्रीनन्दन महतो,<br>उच्च वर्गीय लिपिक<br>(दिनचर्या लिपिक)       | कार्मिक एवं प्र०सु० विभाग<br>(मुख्य सचिव कोषांग में<br>प्रतिनियुक्त) | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग |           |
| 4.   | श्री कृपाशंकर मिश्र,<br>उच्च वर्गीय लिपिक<br>(दिनचर्या लिपिक)       | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग                                             | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग |           |
| 5.   | श्री निरंजन प्रसाद सिन्हा,<br>उच्च वर्गीय लिपिक<br>(दिनचर्या लिपिक) | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग                                             | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग |           |
| 6.   | श्री शिवचन्द्र रविदास,<br>उच्च वर्गीय लिपिक<br>(दिनचर्या लिपिक)     | कार्मिक एवं प्र०सु० विभाग<br>(मुख्य सचिव कोषांग में<br>प्रतिनियुक्त) | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग |           |

कुल आबंटित पद - 06

कुल कार्यरत बल - 06

रिक्त पद - 00

**आदेशपाल :-**

| क्र. | कर्मचारी का नाम        | वर्तमान पदस्थापन         | नया आबंटन (विभाग)        | अभ्युक्ति |
|------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 1    | 2                      | 3                        | 4                        | 5         |
| 1.   | श्री रामानन्द राम,     | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग |           |
| 2.   | श्री प्रेम रजक,        | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग |           |
| 3.   | श्री कामेश्वर ठाकुर,   | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग |           |
| 4.   | श्री पैट्रिक रफेल      | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग |           |
| 5.   | श्रीमती उर्मिला देवी-1 | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग |           |



|    |                        |                            |                          |  |
|----|------------------------|----------------------------|--------------------------|--|
| 6. | श्रीमती अल्पत देवी     | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग   | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग |  |
| 7. | श्रीमती उर्मिला देवी-2 | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग   | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग |  |
| 8. | श्री श्रवण कुमार       | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग |  |

कुल आबंटित पद - 13

कुल कार्यरत बल - 08

रिक्त पद - 05

**(ग) गृह (आरक्षी) विभाग**

टंकक (उच्च वर्गीय लिपिक) :-

| क्र० | कर्मचारी का नाम                                | वर्तमान पदस्थापन                                                                     | नया आबंटन (विभाग)  | अभ्युक्ति |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 1    | 2                                              | 3                                                                                    | 4                  | 5         |
| 1.   | श्री विद्यानन्द सिंह,<br>टंकक (उ०व०लि०)        | गृह (आरक्षी) विभाग                                                                   | गृह (आरक्षी) विभाग |           |
| 2.   | श्री कौलेश्वर सिंह,<br>टंकक (उ०व०लि०)          | गृह (आरक्षी) विभाग                                                                   | गृह (आरक्षी) विभाग |           |
| 3.   | श्री उपेन्द्र सिंह,<br>टंकक (उ०व०लि०)          | गृह (आरक्षी) विभाग                                                                   | गृह (आरक्षी) विभाग |           |
| 4.   | श्री योगेन्द्र प्रसाद,<br>टंकक (उ०व०लि०)       | गृह (आरक्षी) विभाग                                                                   | गृह (आरक्षी) विभाग |           |
| 5.   | श्री अखिलेश्वर प्रसाद वर्मा,<br>टंकक (उ०व०लि०) | गृह (आरक्षी) विभाग                                                                   | गृह (आरक्षी) विभाग |           |
| 6.   | श्री सत्यदेव सिंह,<br>टंकक (उ०व०लि०)           | गृह (आरक्षी) विभाग                                                                   | गृह (आरक्षी) विभाग |           |
| 7.   | श्री अजय कुमार<br>टंकक (उ०व०लि०)               | कार्मिक एवं प्र०सु० विभाग<br>(मंत्रिमंडल सचि० एवं समन्वय<br>विभाग में प्रतिनियुक्त)। | गृह (आरक्षी) विभाग |           |
| 8.   | श्री राजेन्द्र चौधरी<br>टंकक (उ०व०लि०)         | गृह (आरक्षी) विभाग                                                                   | गृह (आरक्षी) विभाग |           |

कुल आबंटित पद - 09

कुल कार्यरत बल - 08

रिक्त पद - 01

**दिनचर्या लिपिक (उच्च वर्गीय लिपिक)/निम्न वर्गीय लिपिक :-**

| क्र० | कर्मचारी का नाम                                                | वर्तमान पदस्थापन   | नया आबंटन (विभाग)  | अभ्युक्ति |
|------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| 1    | 2                                                              | 3                  | 4                  | 5         |
| 1.   | श्री अजीत कुमार झा,<br>उच्च वर्गीय लिपिक<br>(दिनचर्या लिपिक)   | गृह (आरक्षी) विभाग | गृह (आरक्षी) विभाग |           |
| 2.   | श्री कृष्ण कुमार दत्त<br>उच्च वर्गीय लिपिक<br>(दिनचर्या लिपिक) | गृह (आरक्षी) विभाग | गृह (आरक्षी) विभाग |           |

कुल आबंटित पद - 02

कुल कार्यरत बल - 02

रिक्त पद - 00

**आदेशपाल :-**

| क्र० | कर्मचारी का नाम              | वर्तमान पदस्थापन          | नया आबंटन (विभाग)  | अभ्युक्ति |
|------|------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------|
| 1    | 2                            | 3                         | 4                  | 5         |
| 1.   | श्री जवाहर लाल,              | गृह (आरक्षी) विभाग        | गृह (आरक्षी) विभाग |           |
| 2.   | श्री राजेन्द्र प्रसाद वर्मा, | गृह (आरक्षी) विभाग        | गृह (आरक्षी) विभाग |           |
| 3.   | श्री शिवशंकर प्रसाद,         | गृह (आरक्षी) विभाग        | गृह (आरक्षी) विभाग |           |
| 4.   | मो० नजीमुद्दीन               | गृह (आरक्षी) विभाग        | गृह (आरक्षी) विभाग |           |
| 5.   | मो० अकबर                     | गृह (आरक्षी) विभाग        | गृह (आरक्षी) विभाग |           |
| 6.   | श्री प्रेम प्रकाश तिवारी     | गृह (आरक्षी) विभाग        | गृह (आरक्षी) विभाग |           |
| 7.   | श्रीमती शान्ति देवी          | गृह (आरक्षी) विभाग        | गृह (आरक्षी) विभाग |           |
| 8.   | श्री सुरेन्द्र प्रसाद        | गृह (आरक्षी) विभाग        | गृह (आरक्षी) विभाग |           |
| 9.   | श्री शत्रुघ्न शर्मा          | कार्मिक एवं प्र०सु० विभाग | गृह (आरक्षी) विभाग |           |

कुल आबंटित पद - 15

कुल कार्यरत बल - 09

रिक्त पद - 00

**चालक :-**

| क्र० | कर्मचारी का नाम      | वर्तमान पदस्थापन   | नया आबंटन (विभाग)  | अभ्युक्ति |
|------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| 1    | 2                    | 3                  | 4                  | 5         |
| 1.   | श्री भारत भूषण भारती | गृह (आरक्षी) विभाग | गृह (आरक्षी) विभाग |           |

कुल आबंटित पद - 01

कुल कार्यरत बल - 01

रिक्त पद - 00

**अभिलेखवाह :-**

| क्र. | कर्मचारी का नाम     | वर्तमान पदस्थापन   | नया आबंटन (विभाग)  | अभ्युक्ति |
|------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| 1    | 2                   | 3                  | 4                  | 5         |
| 1.   | श्री बाल्मिकी शर्मा | गृह (आरक्षी) विभाग | गृह (आरक्षी) विभाग |           |

कुल आबंटित पद - 01

कुल कार्यरत बल - 01

रिक्त पद - 00

**(घ) संसदीय कार्य विभाग**

**टंकक (उच्च वर्गीय लिपिक) :-**

| क्र. | कर्मचारी का नाम                              | वर्तमान पदस्थापन          | नया आबंटन (विभाग)  | अभ्युक्ति |
|------|----------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------|
| 1    | 2                                            | 3                         | 4                  | 5         |
| 1.   | श्री ब्रह्मदेव प्रसाद साह,<br>टंकक (उ०व०लि०) | कार्मिक एवं प्र०सु० विभाग | संसदीय कार्य विभाग |           |

कुल आबंटित पद - 02

कुल कार्यरत बल - 01

रिक्त पद - 01

**दिनचर्या लिपिक (उच्च वर्गीय लिपिक)/निम्न वर्गीय लिपिक :-**

| क्र. | कर्मचारी का नाम                                                | वर्तमान पदस्थापन          | नया आबंटन (विभाग)  | अभ्युक्ति |
|------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------|
| 1    | 2                                                              | 3                         | 4                  | 5         |
| 1.   | श्री कृष्णानन्द सहाय,<br>उच्च वर्गीय लिपिक<br>(दिनचर्या लिपिक) | कार्मिक एवं प्र०सु० विभाग | संसदीय कार्य विभाग |           |
| 2.   | श्रीमती सुधा सहाय,<br>निम्न वर्गीय लिपिक                       | कार्मिक एवं प्र०सु० विभाग | संसदीय कार्य विभाग |           |

कुल आबंटित पद - 02

कुल कार्यरत बल - 02

रिक्त पद - 00

**आदेशपाल :-**

| क्र. | कर्मचारी का नाम | वर्तमान पदस्थापन   | नया आबंटन (विभाग)  | अभ्युक्ति |
|------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------|
| 1    | 2               | 3                  | 4                  | 5         |
| 1.   | श्री सहदेव राय  | संसदीय कार्य विभाग | संसदीय कार्य विभाग |           |

कुल आबंटित पद - 04

कुल कार्यरत बल - 01

रिक्त पद - 03

चालक :-

| क्र. | कर्मचारी का नाम       | वर्तमान पदस्थापन   | नया आबंटन (विभाग)  | अभ्युक्ति |
|------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| 1    | 2                     | 3                  | 4                  | 5         |
| 1.   | श्री दशई प्रसाद वर्मा | संसदीय कार्य विभाग | संसदीय कार्य विभाग |           |

कुल आबंटित पद - 01

कुल कार्यरत बल - 01

रिक्त पद - 00

भगलु रजक

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-4/वि०-3-102/2007 का०-332

पटना-15, दिनांक 21.8.2007

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/वित्त (बजट शाखा) विभाग, बिहार, पटना/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना/संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/अवर सचिव (लेखा), कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना (दो प्रतियों में)/प्रशाखा-08, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित)/मुख्य सचिव के सचिव, बिहार, पटना/सचिव के सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना/ बिहार राज्य नागरिक परिषद्, पटना/बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना एवं संबंधित सभी कर्मियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

भगलु रजक

सरकार के संयुक्त सचिव।

[9]

पत्र संख्या-4/वि०-3-102/2007 का०-7473

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,

पटना।

पटना-15, दिनांक 20. 07. 2007

विषय :- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अंतर्गत संयुक्त स्थापना की व्यवस्था को समाप्त करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अंतर्गत वर्ग-3

एवं वर्ग-4 के स्वीकृत स्थायी पदों एवं पदधारकों का संयुक्त स्थापना की पुरानी व्यवस्था चली आ रही थी। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (संयुक्त स्थापना) के वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के स्वीकृत सभी पदों को विभागवार पृथक करने हेतु दिनांक 20.06.2007 को सम्पन्न हुई बैठक में पारित प्रस्ताव एवं तदनुसार निर्गत कार्यवाही ज्ञापांक 6680 दिनांक 28.06.2007 के आलोक में संयुक्त स्थापना की व्यवस्था को समाप्त करते हुए इन पदों यथा टंकक (उच्च वर्गीय लिपिक) 37 पद, दिनचर्या लिपिक (उच्चवर्गीय लिपिक/निम्नवर्गीय लिपिक) 28 पद, चालक 5 पद, ट्रेजरी सरकार 1 पद, अभिलेखवाह 2 पद एवं आदेशपाल 64 पद का विभागवार निम्नवत आबंटन करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है :-

| क्र. | विभाग का नाम                      | टंकक<br>(उ.व.लि.) | दिनचर्या लिपिक<br>(उ.व.लि./नि.व.लि.) | चालक | अभिलेखवाह | ट्रेजरी<br>सरकार | आदेशपाल |
|------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------|-----------|------------------|---------|
| 1    | 2                                 | 3                 | 4                                    | 5    | 6         | 7                | 8       |
| 1    | कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग | 18                | 18                                   | 03   | 01        | 01               | 33      |
| 2    | मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग         | 08                | 06                                   | 00   | 00        | 00               | 13      |
| 3    | गृह (आरक्षी) विभाग                | 09                | 02                                   | 01   | 01        | 00               | 15      |
| 4    | संसदीय कार्य विभाग                | 02                | 02                                   | 01   | 00        | 00               | 04      |

2. इन पदों के विभागवार अंतिम आबंटन के फलस्वरूप स्थापना सहित अन्य सभी कार्यों का निष्पादन संबंधित विभाग द्वारा अपने स्तर से स्वतंत्र रूप से किया जाएगा।

3. उपर्युक्त सम्बर्ग के पद धारकों का विभागवार विभाजन (आबंटन) अलग से किया जाएगा।

विश्वासभाजन,

भगलु रजक

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-4/वि०-3-102/2007 का०-7473

पटना-15, दिनांक 20.07.07

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/ वित्त (बजट शाखा) विभाग, बिहार, पटना/मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना/संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/अवर सचिव (लेखा), कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना (दो प्रतियों में)/प्रशाखा-08, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित) एवं सचिव के सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

भगलु रजक

सरकार के संयुक्त सचिव।

पत्र संख्या-15/सं०सं०-19-03/06 का०-161

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

राजवंश मणि सिंह,

सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,

वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना-15, दिनांक 11. 01. 2007

विषय :- सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायकों के संयुक्त संवर्ग के मूल पद-सहायक-का पदबल अधिसूचित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सहायक संयुक्त सम्वर्ग अधिनियम, 1989 द्वारा सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायकों के संयुक्त सम्वर्ग गठित किये जाने के उपरान्त सम्वर्ग के मूल पद-सहायक के पदबल को अधिसूचित किये जाने की आवश्यकता महसूस की जाती रही है। सहायकों के पदबल को अधिसूचित नहीं किये जाने के कारण विभिन्न न्यायालयों में सरकार का पक्ष रखे जाने में भी अनेक अवसरों पर कठिनाइयाँ महसूस की गई हैं।

दिनांक 14.11.2000 से बिहार राज्य उत्तरवर्ती बिहार एवं झारखण्ड राज्य में विभाजन किये जाने के फलस्वरूप उत्तरवर्ती बिहार राज्य में अविभाजित बिहार के कुल स्वीकृत बल का मात्र 2/3 पद ही रखा गया है।

विज्ञापन संख्या-135 (अ)/96 सचिवालय सहायक सीमित प्रतियोगिता परीक्षा, 1996 के अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर विचार किये जाने के क्रम में वित्त विभाग द्वारा भी सहायकों के लिए पदबल अधिसूचित किये जाने के उपरांत ही नियुक्ति की कार्रवाई किये जाने का परामर्श दिया गया है।

केन्द्रीय सचिवालय के अनुरूप राज्य सचिवालय के कर्मियों को वेतनमान स्वीकृत करते हुए वित्त विभाग के संकल्प सं० 660 दिनांक 08.02.99 द्वारा सभी आवश्यकता आधारित पदों को अधिसूचित किये जाने का राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है।

अतः उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में वर्तमान में राज्य विभाजन के उपरान्त उत्तरवर्ती बिहार को आबंटित सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायकों के पदों एवं इसके बाद विभिन्न विभागों में सृजित सहायक के आवश्यकता आधारित पदों के आलोक में सहायक का स्वीकृत पदबल निम्न रूप से अधिसूचित किया जाता है :-

1. विभाग :- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
2. सेवा/संवर्ग का नाम :- सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायकों का संयुक्त संवर्ग

3. संवर्ग का मूल पद एवं वेतनमान :- सहायक (5500-9000)

4. मूल पद के लिए स्वीकृत सम्वर्गीय पदों की स्थिति :-

(क) बिहार विभाजन के समय दिनांक 14.11.2000 को उत्तरवर्ती बिहार राज्य के लिए आबंटित सहायकों का कुल स्वीकृत बल 2989

(ख) राज्य विभाजन के उपरांत सहायकों के सृजित पदों की संख्या- 40

(i) बिहार कर्मचारी चयन आयोग- 25

(ii) निबंधन विभाग - 10

(iii) बिहार राज्य सूचना आयोग - 05

40

कुल योग :- 3029

भविष्य में सहायकों के लिए स्वीकृत किये जाने वाले आवश्यकता आधारित पद उक्त अधिसूचित पद बल के अतिरिक्त होगा।

विश्वासभाजन,  
राजवंश मणि सिंह  
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-15/सं०सं०-19-03/06 का०-161

पटना-15, दिनांक 11.01.07

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इसका प्रकाशन बिहार गजट के असाधारण अंक में करते हुए इसकी 5000 प्रतियाँ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायी जाय।

राजवंश मणि सिंह  
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-15/सं०सं०-19-03/06 का०-161

पटना-15, दिनांक 11.01.07

प्रतिलिपि- सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्यमंत्री सचिवालय/महाधिवक्ता, बिहार का कार्यालय एवं सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ प्रेषित।

राजवंश मणि सिंह  
सरकार के उप सचिव

पत्र संख्या-7/क.च.आ.-5-2/03 का०-10945

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

गोकुल किशोर दत्त,

सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

\*अनौपचारिक रूप से परामर्शित महालेखाकार, बिहार,  
वीरचन्द पटेल पथ, पटना

द्वारा :- वित्त विभाग, बिहार, पटना\*

पटना-15, दिनांक 01 नवम्बर, 2006

विषय :- बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के अस्थायी रूप से सृजित राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों का वित्तीय वर्ष 2006-07 से स्थायीकरण।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के राज्यादेश सं० 9203 दिनांक: 26.11.2002 द्वारा निम्नांकित पद अस्थायी रूप से सृजित हैं:-

| क्रमांक | पद का नाम         | पदों की संख्या | वेतनमान     |
|---------|-------------------|----------------|-------------|
| 1       | 2                 | 3              | 4           |
| 1.      | अध्यक्ष           | 01             | 18400-22400 |
| 2.      | सदस्य             | 02             | 14300-18300 |
| 3.      | सचिव              | 01             | 14300-18300 |
| 4.      | संयुक्त सचिव      | 01             | 12000-16500 |
| 5.      | प्रशाखा पदाधिकारी | 01             | 6500-10500  |
| 6.      | सहायक             | 03             | 5500-9000   |
| 7.      | वरीय निजी सहायक   | 01             | 6500-10500  |
| 8.      | निजी सहायक        | 03             | 5500-9000   |
| 9.      | दिनचर्या लिपिक    | 04             | 4000-6000   |
| 10.     | उच्च वर्गीय लिपिक | 02             | 4000-6000   |
| 11.     | मोटरयान चालक      | 02             | 2750-4000   |
| 12.     | आदेशपाल           | 04             | 2550-3200   |
|         | कुल               | 25             |             |



2. उपर्युक्त पदों के अतिरिक्त इस विभाग के राज्यादेश सं० 4644 दिनांक 09.07.03 द्वारा निम्नांकित पद अस्थायी रूप से सृजित है :-

| क्रमांक | पद का नाम                        | पदों की संख्या | वेतनमान    |
|---------|----------------------------------|----------------|------------|
| 1       | 2                                | 3              | 4          |
| 1.      | कम्प्यूटर प्रोग्रामर सह एनालिस्ट | 01             | 5500-9000  |
| 2.      | डाटा इंट्री ऑपरेटर               | 05             | 4000-6000  |
| 3.      | बजट सह लेखा पदाधिकारी            | 01             | 6500-10500 |
| 4.      | लेखापाल                          | 02             | 4000-6000  |
|         | कुल                              | 09             |            |

3. उपर्युक्त सभी 34 (चौत्तीस) अस्थायी पदों का वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए विभागीय राज्यादेश सं० 7249 दिनांक 06.08.2005 द्वारा अवधि विस्तार किया गया है।

4. बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना एक स्थायी संस्था है एवं भविष्य में इन पदों की आवश्यकता बने रहने की सम्भावना को देखते हुए राज्य सरकार ने उक्त (25+9=34) 34 (चौत्तीस) राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों का वित्तीय वर्ष 2006-07 से अनुमानित वार्षिक व्यय रुपये 39,14,500.00 (उनचालीस लाख चौदह हजार पाँच सौ रुपये मात्र ) (व्यय विवरणी संलग्न) पर स्थायीकरण करने के प्रस्ताव में स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया है।

5. उक्त पदों पर होने वाला व्यय का वहन गैर योजना बजट शीर्ष-2051-लोक सेवा आयोग-103 कर्मचारी चयन आयोग-0001-बिहार कर्मचारी चयन आयोग से किया जायेगा। विपत्र कोड N 2051001030001 होगा।

6. अराजपत्रित पदों के लिए राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग होंगे। राजपत्रित पदाधिकारी स्वयं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

7. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

विश्वासभाजन,  
गोकुल किशोर दत्त  
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापक-7/क.च.आ.5-2/03 का०-10945

पटना-15, दिनांक 01 नवम्बर, 06

प्रतिलिपि- वित्त विभाग, बिहार, पटना/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की प्रशाखा- 1,3,4,8,9,12,14,15,16/अध्यक्ष, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, बिहार, पटना/सभी विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

गोकुल किशोर दत्त  
सरकार के उप सचिव।

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना

वित्तीय वर्ष 2006-07 में होने वाली सम्भावित (अनुमानित) व्यय विवरणी

| क्र. | कोटि<br>वर्ग<br>1,2,<br>3,4 | पदनाम        | कुल<br>स्वी<br>कृत<br>बल | कार्य<br>रत<br>बल | अन्तर<br>(रिक्त<br>पद) | वेतनमान                            | वेतन            | 50%<br>महंगाई<br>वेतन | महंगाई<br>भत्ता<br>@<br>24% | विशेष<br>भत्ता/<br>विशेष<br>वेतन | नगर<br>क्षति<br>पूरक<br>भत्ता | मकान<br>भाड़ा<br>(15%) | सवारी<br>भत्ता | चिकित्सा<br>भत्ता        | आर.<br>एवं<br>पी.<br>डब्ल्यू.<br>एफ.ए. | कुल<br>(एक<br>माह का) | वर्ष 2006-07<br>के लिए कुल<br>अनुमानित व्यय | अभ्युक्ति |
|------|-----------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------|
| 1    | 2                           | 3            | 4                        | 5                 | 6                      | 7                                  | 8               | 9                     | 10                          | 11                               | 12                            | 13                     | 14             | 15                       | 16                                     | 17                    | 18                                          | 19        |
| 1.   | 1                           | अध्यक्ष      | 1                        | 1                 | —                      | 18400—<br>22400                    | 20500           | 10250                 | 7380                        | —                                | 180                           | —                      | —              | 50000<br>(वार्षिक)       | —                                      | 38310                 | 459720<br>+50000<br>509720                  |           |
| 2.   | 1                           | सदस्य        | 2                        | 2                 | —                      | 14300—<br>18300<br>16400—<br>20000 | 16700<br>18150  | 8350<br>9075          | 6012<br>6534                | —                                | 180                           | 3758<br>4084           | 400            | 100<br>2000<br>(वार्षिक) | —                                      | 35500<br>38023        | 426000<br>456276<br>+20000<br>902276        |           |
| 3.   | 2                           | सचिव         | 1                        | 1                 | —                      | 14300—<br>18300                    | 15000           | 7500                  | 5400                        | 500                              | 180                           | 3375                   | —              | 100                      | —                                      | 32055                 | 384660                                      |           |
| 4.   | 2                           | संयुक्त सचिव | 1                        | 1                 | —                      | 12000—<br>16500                    | 10100           | 5050                  | 3636                        | 400                              | 180                           | 2273                   | —              | 100                      | —                                      | 21379                 | 260868                                      |           |
| 5.   | 2                           | प्रशाखा पदा० | 1                        | 1                 | —                      | 6500—<br>10500                     | 10500           | 5250                  | 3780                        | —                                | 180                           | —                      | 200            | 100                      | —                                      | 20010                 | 240120                                      |           |
| 6.   | 2                           | व.नि.सहायक   | 1                        | 1                 | —                      | 6500—<br>10500                     | 10700           | 5350                  | 3852                        | —                                | 180                           | —                      | 200            | 100                      | —                                      | 20382                 | 244584                                      |           |
| 7.   | 3                           | सहायक        | 3                        | 3                 | —                      | 8900×1<br>8825×1<br>5500—<br>9000  | 8100×1<br>25825 | 12913                 | 9297                        | —                                | 540                           | 5811                   | 225            | 300                      | —                                      | 54911                 | 658932                                      |           |

| 1   | 2 | 3                                      | 4  | 5  | 6  | 7              | 8                | 9     | 10    | 11  | 12   | 13    | 14   | 15               | 16                        | 17                 | 18                           | 19 |
|-----|---|----------------------------------------|----|----|----|----------------|------------------|-------|-------|-----|------|-------|------|------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|----|
|     |   |                                        |    |    |    |                | 8700x1<br>6900x1 |       |       |     |      |       |      |                  |                           |                    |                              |    |
| 8.  | 3 | नि० सहायक                              | 3  | 2  | 1  | 5500-<br>9000  | 15600            | 7800  | 5616  | -   | 360  | 3510  | 150  | 200              | -                         | 33236              | 898832                       |    |
| 9.  | 3 | दिनचर्या लि०                           | 4  | -  | 4  | 4000-<br>6000  | -                | -     | -     | -   | -    | -     | -    | -                | -                         | -                  | -                            |    |
| 10. | 3 | उ०व० लिपिक                             | 2  | 1  | 1  | 4000-<br>6000  | 4500             | 2250  | 1620- | -   | 180  | 1013  | 75   | 100              | -                         | 9738               | 116856                       |    |
| 11. | 3 | मोटरयान चालक                           | 2  | -  | 2  | 2750-<br>4000  | -                | -     | -     | -   | -    | -     | -    | -                | -                         | -                  | -                            |    |
| 12. | 4 | आदेशपाल                                | 4  | 2  | 2  | 2550-<br>3200  | 3790x2<br>=7580  | 3790  | 2729  | -   | 200  | 1706  | 150  | 200              | 28x2=56<br>30x2=60<br>116 | 16471              | 197652                       |    |
| 13. | 3 | कम्प्यूटर<br>प्रोग्रामर<br>सह एनालिस्ट | 1  |    | 1  | 5500-<br>9000  | -                | -     | -     | -   | -    | -     | -    | -                | -                         | -                  | -                            |    |
| 14. | 3 | डाटा इन्ट्री<br>ऑपरेटर                 | 5  | -  | 5  | 4000-<br>6000  | -                | -     | -     | -   | -    | -     | -    | -                | -                         | -                  | -                            |    |
| 15. | 3 | बजट सह<br>लेखा पदाधिकारी               | 1  | -  | 1  | 6500-<br>10500 | -                | -     | -     | -   | -    | -     | -    | -                | -                         | -                  | -                            |    |
| 16. | 3 | लेखापाल                                | 2  | -  | 2  | 4000-<br>6000  | -                | -     | -     | -   | -    | -     | -    | -                | -                         | -                  | -                            |    |
|     |   | कुल                                    | 34 | 15 | 19 |                | 155155           | 77578 | 55856 | 900 | 2540 | 25530 | 1400 | 1300<br>+(70000) | 116                       | 320375<br>(+70000) | 3844500<br>+70000<br>3914500 |    |

(उनचालीस लाख चौदह हजार पाँच सौ रुपये मात्र)

गोकुल किशोर दत्त  
सरकार के उप सचिव

पत्र सं०-9/विविध-14-51/2006-का०-6801

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद,

सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव/सचिव

सभी विभागाध्यक्ष

मुख्यमंत्री सचिवालय।

पटना-15, दिनांक 13. 07. 2006

विषय :- टंकक/विपत्रलिपिक/दिनचर्यालिपिक के स्वीकृत पदों की सूचना भेजने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय अधिसूचना संख्या-6216 दिनांक 29.6.2006 के द्वारा बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2006 ( प्रति संलग्न) अधिसूचित की जा चुकी है। नियमावली के नियम-5 के प्राधानानुसार नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि को टंकक/विपत्रलिपिक/दिनचर्यालिपिक के स्वीकृत बल का 50 प्रतिशत पद निम्नवर्गीय लिपिक एवं 50 प्रतिशत पद उच्चवर्गीय लिपिक की कोटि का समझा जायेगा। इस प्रयोजनार्थ उक्त संवर्गों के लिए स्वीकृत बल की सूचना आवश्यक है।

अतः अनुरोध है कि संलग्न विहित प्रपत्र में उक्त तीनों संवर्ग के लिए स्वीकृत (स्थायी/अस्थायी) पदों की सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर निश्चित रूप से कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

सरयुग प्रसाद

सरकार के उप सचिव

प्रपत्र

1. संवर्ग का नाम —टंकक संवर्ग
2. स्वीकृत बल—
3. कार्यरत बल—
4. वर्तमान में रिक्ति—
5. संवर्ग में कार्यरत कर्मियों की विवरणी :-

| क्र. सं. | संवर्ग में कार्यरत कर्मों का नाम/<br>पदनाम | स्थायी/अस्थायी | नियुक्ति/योगदान<br>की तिथि | 31.12.95 को<br>प्राप्त वेतनमान | वर्तमान<br>वेतनमान |
|----------|--------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1        | 2                                          | 3              | 4                          | 5                              | 6                  |
|          |                                            |                |                            |                                |                    |

प्रपत्र

1. संवर्ग का नाम —विपत्र लिपिक
2. स्वीकृत बल—
3. कार्यरत बल—
4. वर्तमान में रिक्ति—
5. संवर्ग में कार्यरत कर्मियों की विवरणी :-

| क्र. सं. | संवर्ग में कार्यरत कर्मों का नाम/<br>पदनाम | स्थायी/अस्थायी | नियुक्ति/योगदान<br>की तिथि | 31.12.95 को<br>प्राप्त वेतनमान | वर्तमान<br>वेतनमान |
|----------|--------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1        | 2                                          | 3              | 4                          | 5                              | 6                  |
|          |                                            |                |                            |                                |                    |

प्रपत्र

1. संवर्ग का नाम —दिनचर्या लिपिक
2. स्वीकृत बल—
3. कार्यरत बल—
4. वर्तमान में रिक्ति—
5. संवर्ग में कार्यरत कर्मियों की विवरणी :-

| क्र. सं. | संवर्ग में कार्यरत कर्मों का नाम/<br>पदनाम | स्थायी/अस्थायी | नियुक्ति/योगदान<br>की तिथि | 31.12.95 को<br>प्राप्त वेतनमान | वर्तमान<br>वेतनमान |
|----------|--------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1        | 2                                          | 3              | 4                          | 5                              | 6                  |
|          |                                            |                |                            |                                |                    |

## बिहार सरकार

## कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

कुमार अंशुमाली,

सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,

वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

\*अनौपचारिक रूप

से परामर्शित

पटना-15, दिनांक 05. 06. 2006

द्वारा- वित्त विभाग, पटना।\*

विषय :- बिहार कर्मचारी चयन आयोग के लिए विभिन्न कोटि के राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मियों के अतिरिक्त पदों के सृजन।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्ग 3 के विभिन्न प्रावैधिक एवं अप्रावैधिक सेवाओं/संवर्गों/पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के प्रयोजनार्थ आयोजित किये जाने वाली परीक्षाओं की संख्या एवं उम्मीदवारों की संख्या में आशातीत वृद्धि के फलस्वरूप तृतीय श्रेणी की सेवाओं/संवर्गों/पदों के लिए उम्मीदवारों के चयन के कार्यभार से बिहार लोक सेवा आयोग को मुक्त कर इस हेतु अधिनियम-7, 2002 के रूप में बिहार कर्मचारी चयन आयोग विधेयक, 2002 अधिनियमित किया जा चुका है।

उक्त अधिनियम की धारा-2 एवं 6 के आलोक में बिहार कर्मचारी चयन आयोग के कार्य संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा अस्थायी रूप से विभागीय राज्यादेश संख्या 9203 दिनांक 26.11.2002 एवं 4644 दिनांक 09.07.2003 द्वारा कुल 34 (चौतीस) पद सृजित किया गया है। इन पदों का अवधि विस्तार वर्ष 2005-06 के लिए किया जा चुका है। इन सृजित पदों के स्थायीकरण हेतु अलग से कार्रवाई की जा रही है।

2. बिहार कर्मचारी चयन आयोग में मानव संसाधन के अभाव में विभिन्न विभागों से प्राप्त अधियाचनाएँ लम्बित हैं तथा अन्य विभागों से अतिरिक्त अधियाचनाएँ प्राप्त होने की भी सम्भावनाएँ हैं। वर्तमान कार्यबल से आयोग के कार्य सुचारु रूप से संपादित नहीं कराये जा सकते हैं। आयोग के कार्य को सुचारु रूप से संपादित किये जाने हेतु पूर्व में सृजित पदों के अतिरिक्त निम्नलिखित अतिरिक्त पदों को गैर योजना मद में आदेश निर्गत की तिथि से सृजित किये जाने के प्रस्ताव में राज्य सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है :-

| क्रमांक | पद का नाम                           | पदों की संख्या | वेतनमान         |
|---------|-------------------------------------|----------------|-----------------|
| 1       | 2                                   | 3              | 4               |
| 1.      | संयुक्त सचिव<br>(अपर समाहर्ता स्तर) | 2              | रु० 12000-16500 |
| 2.      | उप सचिव<br>(अनुमंडल पदा० स्तर)      | 2              | रु० 10000-15200 |

|    |                   |             |                |
|----|-------------------|-------------|----------------|
| 3. | प्रशाखा पदाधिकारी | 4           | रु० 6500-10500 |
| 4. | सहायक             | 22          | रु० 5500-9000  |
| 5. | निजी सहायक        | 4           | रु० 5500-9000  |
| 6. | ट्रेजरी सरकार     | 1           | रु० 2750-4400  |
|    | कुल :-            | 35 (पैंतीस) |                |

3. उपर्युक्त पदों के सृजन पर कुल अनुमानित वार्षिक व्यय रु० 72,70,430 = 00 (बहत्तर लाख सत्तर हजार चार सौ तीस रुपये) होगा (व्यय विवरणी अनुलग्नक-1 संलग्न)। व्यय का वहन बजट शीर्ष "2051-लोक सेवा आयोग-103 कर्मचारी चयन आयोग-0001 कर्मचारी चयन आयोग" विपत्र कोड एन० 2051001030001 के अंतर्गत किया जायेगा।
4. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग होंगे।
5. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

विश्वासभाजन,  
कुमार अंशुमाली  
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-7/क०च०आ० 3-5-01/2006 का०-5299

पटना, दिनांक 05.06.06

प्रतिलिपि-वित्त विभाग, बिहार, पटना/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग प्रशाखा-1,3,8,9,12,14 एवं 15/अध्यक्ष, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कुमार अंशुमाली  
सरकार के उप सचिव

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के लिए अतिरिक्त पदों के सृजन पर होनेवाली अनुमानित वार्षिक व्यय विवरणी ( वर्ष 2006-2007)

| क्र. सं. | पद नाम        | औसत वेतन    | पदों की संख्या | औसत वेतन                               | 50% मंहगाई वेतन | मंहगाई भत्ता 26% | चिकित्सा भत्ता | नगर क्षतिपूर्ति भत्ता                | मकान भाड़ा भत्ता 15% | परिवहन भत्ता                       | वार्षिक अनुमानित व्यय | अभ्युक्ति |
|----------|---------------|-------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 1        | 2             | 3           | 4              | 5                                      | 6               | 7                | 8              | 9                                    | 10                   | 11                                 | 12                    | 13        |
| 1        | संयुक्त सचिव  | 12000-16500 | 2              | $14500 \times 12 \times 2$<br>=342000  | 171000          | 133380           | 2400           | $180 \times 12 \times 2$<br>=4320    | 76950                | $400 \times 12 \times 2$<br>=9600  | 7,39,650              |           |
| 2        | उप सचिव       | 10000-15200 | 2              | $12600 \times 12 \times 2$<br>=302400  | 151200          | 117936           | 2400           | $180 \times 12 \times 2$<br>=4320    | 68040                | $400 \times 12 \times 2$<br>=9600  | 6,55,896              |           |
| 3        | प्रशाखा पदा०  | 6500-10500  | 4              | $8500 \times 12 \times 4$<br>=408000   | 204000          | 159120           | 4800           | $180 \times 12 \times 4$<br>=8640    | 91800                | $200 \times 12 \times 4$<br>=9600  | 8,85,960              |           |
| 4        | सहायक         | 5500-9000   | 22             | $7250 \times 12 \times 22$<br>=1914000 | 957000          | 746460           | 26400          | $180 \times 12 \times 22$<br>= 47520 | 430650               | $75 \times 12 \times 22$<br>=19800 | 41,41,830             |           |
| 5        | निजी सहायक    | 5500-9000   | 4              | $7250 \times 12 \times 4$<br>=348000   | 174000          | 135720           | 4800           | $180 \times 12 \times 4$<br>=8640    | 78300                | $75 \times 12 \times 4$<br>=3600   | 7,53,060              |           |
| 6.       | ट्रेजरी सरकार | 2750-4400   | 1              | $3575 \times 12 \times 1$<br>=42900    | 21450           | 16731            | 1200           | $100 \times 12 \times 1$<br>=1200    | 9653                 | $75 \times 12 \times 1$<br>=900    | 94,034                |           |
|          | कुल           | —           | 35             | 3357300                                | 1678650         | 1309347          | 42000          | 74640                                | 755393               | 53100                              | 7270430               |           |

(बहत्तर लाख सत्तर हजार चार सौ तीस रुपये मात्र)

कुमार अंशुमाली

सरकार के उप सचिव

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग,

बिहार, पटना



पत्रांक-8/विविध-12-11/2006 का०-4116

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

कुमार अंशुमाली,

सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,

वीरचंद पटेल पथ, पटना।

\*अनौपचारिक रूप  
से परामर्शित

द्वारा :- वित्त विभाग, बिहार पटना।\*

पटना, दिनांक 08 मई, 2006

विषय :- बिहार सूचना आयोग के गठन के लिए मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त तथा उनके सहयोग हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदों का सृजन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 (1) के अन्तर्गत अधिनियम के अधीन सौंपे गए शक्तियों के प्रयोग एवं कृत्यों के पालन हेतु राज्य सूचना आयोग के गठन का प्रावधान है।

2. उपर्युक्त के आलोक में राज्य सूचना आयोग के गठन का मामला सरकार के विचाराधीन था। राज्य सरकार ने विचारोपरान्त राज्य सूचना आयोग के गठन हेतु निम्न प्रकार के पदों के सृजन की स्वीकृति दी है:-

| क्र. | पदनाम                                                                         | पदों की संख्या | वेतनमान            | जिनके लिए पद<br>सृजित है पदनाम                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 2                                                                             | 3              | 4                  | 5                                                                        |
| 1    | राज्य मुख्य सूचना आयुक्त                                                      | 1 (एक)         | रु० 30,000/-       | -                                                                        |
| 2    | राज्य सूचना आयुक्त                                                            | 2 (दो)         | रु० 26,000/-       | -                                                                        |
| 3.   | आयोग के अवर सचिव-सह<br>-निकासी एवं व्ययन पदा०<br>(प्रशाखा पदाधिकारी कोटि में) | 1 (एक)         | रु० 6500-200-10500 | -                                                                        |
| 4.   | आप्त सचिव                                                                     | 3 (तीन)        | रु० 6500-200-10500 | राज्य मुख्य सूचना<br>आयुक्त एवं दो<br>राज्य सूचना आयुक्त के<br>लिए एक-एक |
| 5.   | निजी सहायक                                                                    | 1 (एक)         | रु० 5500-175-9000  | आयोग के अवर सचिव<br>के लिए                                               |
| 6.   | सहायक                                                                         | 1 (एक)         | रु० 5500-175-9000  | -                                                                        |

|    |                                |         |                  |                                                                          |
|----|--------------------------------|---------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 7. | निम्न वर्गीय लिपिक             | 3 (तीन) | रु० 3050-75-4590 | —                                                                        |
| 8. | पेशकार<br>(निम्न वर्गीय लिपिक) | 3 (तीन) | रु० 3050-75-4590 | राज्य मुख्य सूचना<br>आयुक्त एवं दो<br>राज्य सूचना आयुक्त के<br>लिए एक-एक |

3. उपरोक्त पदों के सृजन पर संलग्न विवरणी के अनुसार कुल वार्षिक व्यय रु० 33,25,200/- (तैंतीस लाख पचीस हजार दौ सौ रुपये) अनुमानित है। उक्त व्यय का वहन गैर योजनान्तर्गत मुख्य शीर्ष "2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ-उप मुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-092-अन्य कार्यालय-उप शीर्ष-0002-राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय" विपत्र कोड एन० 2251000920002 के अन्तर्गत किया जायेगा।

विश्वासभाजन  
कुमार अंशुमाली  
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-8/विविध-12-11/2006 का०-4116

पटना, दिनांक 08 मई, 2006

प्रतिलिपि- दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कुमार अंशुमाली  
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-8/विविध-12-11/2006 का०-4116

पटना, दिनांक 08 मई, 2006

प्रतिलिपि- सभी आयुक्त एवं सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/वित्त (बजट शाखा), बिहार, पटना/विभाग के सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदा० सहित)/श्री सुवीर कुमार, निम्नवर्गीय लिपिक को 100 (सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ/सभी सहायक, कार्मिक एवं प्र०सु० विभाग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कुमार अंशुमाली  
सरकार के उप सचिव

## व्यय-विवरणी

(क) मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त पर होने वाला वार्षिक व्यय :-

(i) मुख्य सूचना आयुक्त :-

|                       |   |                                              |
|-----------------------|---|----------------------------------------------|
| वेतन                  | — | 30,000.00                                    |
| महँगाई वेतन           | — | 15,000.00                                    |
| महँगाई भत्ता          | — | 9,450.00                                     |
| मकान किराया भत्ता     | — | 6,750.00                                     |
| नगर क्षतिपूर्ति भत्ता | — | 180.00                                       |
|                       |   | -----                                        |
| कुल                   | — | 61,380.00                                    |
| वार्षिक व्यय          | — | 61,380.00 X 12 = 7,36,560.00                 |
|                       |   | (सात लाख छत्तीस हजार पाँच सौ साठ रुपए मात्र) |

(ii) राज्य सूचना आयुक्त :-

|                       |   |                              |
|-----------------------|---|------------------------------|
| वेतन                  | — | 26,000.00                    |
| महँगाई वेतन           | — | 13,000.00                    |
| महँगाई भत्ता          | — | 8,190.00                     |
| मकान किराया भत्ता     | — | 5,850.00                     |
| नगर क्षतिपूर्ति भत्ता | — | 180.00                       |
|                       |   | -----                        |
| कुल                   | — | 53,220.00                    |
| वार्षिक व्यय          | — | 53,220.00 X 12 = 6,38,640.00 |

दो राज्य सूचना आयुक्तों पर होने

वाला वार्षिक व्यय :  $6,38,640.00 \times 2 = 12,77,280.00$

(बारह लाख सतहत्तर हजार दो सौ अस्सी रुपए मात्र)

(iii) (कुल वार्षिक व्यय (i) एवं (ii) का कुल योग) =

$7,36,560.00 + 12,77,280.00 = 20,13,840.00$

(बीस लाख तेरह हजार आठ सौ चालीस रुपये मात्र)

(ख) राज्य सूचना आयुक्त कार्यालय के कर्मियों पर होने वाला वार्षिक व्यय :-

(i) अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (प्र०पदा० की कोटि में) :-

|                   |   |          |
|-------------------|---|----------|
| वेतन              | — | 6,500.00 |
| महँगाई वेतन       | — | 3,250.00 |
| महँगाई भत्ता      | — | 2,048.00 |
| मकान किराया भत्ता | — | 1,463.00 |

|                       |   |        |
|-----------------------|---|--------|
| नगर क्षतिपूर्ति भत्ता | - | 180.00 |
| चिकित्सा भत्ता        | - | 100.00 |

|              |   |                              |
|--------------|---|------------------------------|
| कुल          | - | 13,541.00                    |
| वार्षिक व्यय | - | 13,541.00 X 12 = 1,62,492.00 |

(एक लाख बासठ हजार चार सौ बेरानवे रुपए मात्र)

(ii) मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त के आप्त सचिव के वेतन पर होने वाला वार्षिक व्यय :-

|                       |   |          |
|-----------------------|---|----------|
| वेतन                  | - | 6,500.00 |
| महँगाई वेतन           | - | 3,250.00 |
| महँगाई भत्ता          | - | 2,048.00 |
| मकान किराया भत्ता     | - | 1,463.00 |
| नगर क्षतिपूर्ति भत्ता | - | 180.00   |
| चिकित्सा भत्ता        | - | 100.00   |

|                                            |   |                                  |
|--------------------------------------------|---|----------------------------------|
| कुल                                        | - | 13,541.00                        |
| तीन आप्त सचिव पद पर होने वाला वार्षिक व्यय | - | 13,541.00 X 12 X 3 = 4,87,476.00 |

(चार लाख सतासी हजार चार सौ छीहत्तर रुपए मात्र)

(iii) अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (प्रशाखा पदा० की कोटि में) के निजी सहायक के वेतन पर होने वाले वार्षिक व्यय :-

|                       |   |          |
|-----------------------|---|----------|
| वेतन                  | - | 5,500.00 |
| महँगाई वेतन           | - | 2,750.00 |
| महँगाई भत्ता          | - | 1,733.00 |
| मकान किराया भत्ता     | - | 1,238.00 |
| नगर क्षतिपूर्ति भत्ता | - | 180.00   |
| चिकित्सा भत्ता        | - | 100.00   |

|                                             |   |                              |
|---------------------------------------------|---|------------------------------|
| कुल                                         | - | 11,501.00                    |
| एक पद पर वर्ष भर में होने वाला वार्षिक व्यय | - | 11,501.00 X 12 = 1,38,012.00 |

(एक लाख अड़तीस हजार बारह रुपए मात्र)

(iv) राज्य सूचना आयुक्त के कार्यालय के सहायकों के वेतन पर होने वाले वार्षिक व्यय :-

|                       |   |          |
|-----------------------|---|----------|
| वेतन                  | - | 5,500.00 |
| महँगाई वेतन           | - | 2,750.00 |
| महँगाई भत्ता          | - | 1,733.00 |
| मकान किराया भत्ता     | - | 1,238.00 |
| नगर क्षतिपूर्ति भत्ता | - | 180.00   |
| चिकित्सा भत्ता        | - | 100.00   |

---

कुल - 11,501.00

एक पद पर वर्ष भर में होने वाला

वार्षिक व्यय -  $11,501.00 \times 12 = 1,38,012.00$

(एक लाख अड़तीस हजार बारह रुपए मात्र)

(v) राज्य सूचना आयुक्त के कार्यालय के निम्नवर्गीय लिपिकों एवं पेशकार (लिपिक) के वेतन पर होने वाले वार्षिक व्यय :-

|                       |   |          |
|-----------------------|---|----------|
| वेतन                  | - | 3,050.00 |
| महँगाई वेतन           | - | 1,525.00 |
| महँगाई भत्ता          | - | 961.00   |
| मकान किराया भत्ता     | - | 686.00   |
| नगर क्षतिपूर्ति भत्ता | - | 100.00   |
| चिकित्सा भत्ता        | - | 100.00   |

---

कुल - 6,422.00

वर्ष भर में होने वाला वार्षिक व्यय -  $6,422.00 \times 12 = 77,064.00$

दो निम्नवर्गीय लिपिक एवं तीन पेशकार (लिपिक) के पदों के लिए वर्ष भर में होने वाले वार्षिक

व्यय- $77,064.00 \times 5 = 3,85,320.00$

(तीन लाख पचासी हजार तीन सौ बीस रुपए मात्र)

योग व्यय राशि (i) + (ii) + (iii) + (iv) + एवं (v)

(i) अवर सचिव-सह निकासी एवं व्ययन पदा० (प्र० पदा० की कोटि में)

के वेतन पर होने वाला वार्षिक व्यय - 1,62,492.00

(ii) मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त के आप्त

सचिव के वेतन पर होने वाला वार्षिक व्यय - 4,87,476.00

|       |                                                           |   |             |
|-------|-----------------------------------------------------------|---|-------------|
| (iii) | अवर सचिव-सह निकासी एवं व्ययन पदा० (प्र० पदा० की कोटि में) |   |             |
|       | के निजी सहायक के वेतन पर होने वाला वार्षिक व्यय           | — | 1,38,012.00 |
| (iv)  | सहायकों के वेतन पर होने वाला वार्षिक व्यय                 | — | 1,38,012.00 |
| (v)   | निम्नवर्गीय लिपिकों के वेतन पर होने वाला वार्षिक व्यय     | — | 3,85,320.00 |

---

13,11,312.00

(तेरह लाख ग्यारह हजार तीन सौ बारह रुपये मात्र)

|                     |   |              |
|---------------------|---|--------------|
| कुल योग— कंडिका—(क) | — | 20,13,840.00 |
| कंडिका—(ख)          | — | 13,11,312.00 |

---

रु० 33,25,152.00

अर्थात्

रु० 33,25,200.00

(रु० तैंतीस लाख पचीस हजार दो सौ रुपये मात्र)

कुमार अंशुमाली  
सरकार के उप सचिव

[15]

पत्रांक-3/एम-28/2006-का०-497

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

राजीव लोचन,

सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष।

पटना-15, दिनांक 02.03.2006

विषय :- राज्य सेवाओं/राज्य संवर्गों और उनमें पदों की संख्या का विवरण के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अन्तर्राज्य परिषद सचिवालय को राज्य सेवाओं/राज्य संवर्गों का विवरण तथा उनमें सृजित पदों की संख्या की सूचना अविलंब भेजी जानी है।

अतः अनुरोध है कि अपने-अपने विभाग के अधीन गठित राज्य सेवाओं/राज्य संवर्गों के नाम और उनमें सृजित पदों की संख्या (विवरण के साथ, संभव हो तो कम्प्यूटर पर तैयार फ्लौपी में भी) कृपया अविलम्ब उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

राजीव लोचन

सरकार के अपर सचिव